

बंगला

कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक



0901

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING



0901 – गंगा

कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5729-873-5

प्रथम संस्करण

मार्च 2026 चैत्र 1948

PD 1000T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2026

₹ 115.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।
सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन
प्रभाग में प्रकाशित तथा सालासर इमेजिंग सिस्टम्स
प्राइवेट लिमिटेड, बी-19, सेक्टर-88, नोएडा 201305,
उत्तर प्रदेश द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना या इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रकाशित करने से मना है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापक रूप से उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराने पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खंड की मूल्य अथवा विक्रेता एवं त्रुटि (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

रा.शे.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नई दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेले

बनाशंकरा III इस्टेज

वेंगलूरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27341446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट : धनकल बस स्टॉप पानिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

भालीगाँव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2676889

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : विज्ञान सुतार

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : दीपक जैसवाल

सहायक उत्पादन अधिकारी : प्रकाश वीर सिंह

आवरण, चित्रांकन एवं सज्जा

जोएल गिल

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की संकल्पना करती है जो भारत के सभ्यतागत ज्ञान, मूल्यों और नैतिक परंपराओं को अपने में समाहित करती हो। यह शिक्षा प्रणाली हमारे विद्यार्थियों को निरंतर परिवर्तनशील वैश्विक जटिलताओं और संभावनाओं के साथ हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत से सार्थक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है। विद्यालयी शिक्षा के लिए निर्मित 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023' में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए एक ऐसे सुसंगत पाठ्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया गया है जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता व संवेदनशीलता और मौलिकता के साथ-साथ उनमें मूल्यों को विकसित करने की दिशा देता है। यह परस्पर जुड़े हुए वैश्विक समाज में उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है।

बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य स्तर पर आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता समग्र रूप से निखरती गई है। अब, वे सोचने, तर्क करने, प्रश्न पूछने और स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता के साथ माध्यमिक स्तर में प्रवेश करेंगे। कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी किशोरावस्था में होते हैं, यह विद्यार्थियों के बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह उन्हें अमूर्त विचारों, जटिल सामाजिक वास्तविकताओं, नैतिक दुविधाओं और ज्ञान के विस्तृत संसार से जुड़ने के लिए तैयार करता है; साथ ही स्वयं तथा अपने आस-पास के संसार के बारे में उनकी समझ को सारगर्भित भी बनाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 माध्यमिक स्तर में कक्षा 9-10 के लिए ऐसे कौशल सीखने पर बल देती है जो विद्यार्थियों के लिए जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हों ताकि विद्यार्थी इन कौशलों का प्रयोग तर्क, संवाद और प्रभावपूर्ण भाषिक व्यवहार के लिए कर सकें। इसका उद्देश्य उनकी विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक क्षमताओं को बढ़ाना भी है ताकि वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकें। यह रूपरेखा बहुआयामी पाठ्यक्रम का सुझाव देती है जिसमें तीन भाषाओं सहित दस विषय शामिल किए गए हैं। भाषाओं के संबंध में यह भी बताया गया है कि तीन में से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ हों। इसके अतिरिक्त विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य, समाज में व्यक्ति/पर्यावरण शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में भाषाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर भाषा का सिर्फ संप्रेषण/अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर नहीं बल्कि सृजनात्मक क्षमता, सोचने, समझने, संवाद करने और सौंदर्यबोध के लिए विशेष रूप से महत्व है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की

रूपरेखा 2023 इस बात पर भी बल देती है कि भाषा की पढ़ाई विद्यार्थियों में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के साथ-साथ अंतरसांस्कृतिक समझ भी बनाए और वे अकादमिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में आत्मविश्वासपूर्वक भाग लेने में सक्षम बन सकें। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 के लिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक गंगा को अभिकल्पित किया गया है।

गंगा पाठ्यपुस्तक में हिंदी के ऐसे विविध रूपों, शैलियों से संबंधित रचनाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता परिलक्षित होती है। पाठ्यपुस्तक में विषयों का चयन इस प्रकार किया गया है कि विद्यार्थी समाज, पर्यावरण, नैतिक समझ/मूल्यपरक समझ/विवेकसम्मत दृष्टि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामयिक विषयों और मानवीय संबंधों से युक्त अन्य पहलुओं से जुड़ सकें। इससे विद्यार्थी अपने उस परिवेश के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिसमें वे रहते हैं। यह पाठ्यपुस्तक भारत की कलात्मक, साहित्यिक और बौद्धिक परंपराओं पर आधारित है, जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों और हमारी सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को समावेशित किया गया है और उन्हें हमारे समकालीन अनुभवों से सहजता से जोड़ा गया है।


पाठ्यपुस्तकें सीखने का एकमात्र संसाधन नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए गंगा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों, मीडिया, डिजिटल अभिलेखागार, पुस्तकालय और सामुदायिक ज्ञान के व्यापक धरातल से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस स्तर पर पढ़ने, संवाद करने और स्वयं से खोज करने की एक अच्छी संस्कृति को बढ़ावा देने में शिक्षक, माता-पिता और विद्यालय के पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्यपुस्तक हर पाठ में क्यू.आर. कोड का प्रयोग करके तकनीकी रूप से विद्यार्थियों को अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराती है, जो उन्हें सृजनात्मक अनुभव से संपृक्त करने में सक्षम है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सम्मिलित विषय विशेषज्ञ, शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षकों, हितधारकों का आभार व्यक्त करती है। हमें विश्वास है कि गंगा पाठकों/विद्यार्थियों को गंभीरता से सोचने, आत्मविश्वास से बात करने और हमारे देश और दुनिया के बौद्धिक और सामाजिक जीवन में सोच-समझकर प्रतिभागिता हेतु प्रेरित करेगी। अगले संस्करण में सुधार के लिए हम इसके सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणी का भी स्वागत करते हैं जिनसे भावी संशोधनों में सहायता ली जा सकती है।

फरवरी 2026
नई दिल्ली

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्



यह पुस्तक

संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में भाषा का केंद्रीय स्थान है। भाषा की शिक्षा विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करती है। नवीं कक्षा के लिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक **गंगा** आपके सामने है। यह पुस्तक नवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली कक्षा से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और आठ वर्षों तक हिंदी का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। नवीं के ये विद्यार्थी किशोर विद्यार्थी हैं जिनका भाषा और विचार-बोध का एक आधार तैयार हो चुका है। अब उनके भाषिक दायरे और वैचारिक समृद्धि को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे आगे चलकर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई कर सकें। वे भाषिक रूप से इतने दक्ष हो जाएँ कि हिंदी उनके विमर्श और ज्ञान-विज्ञान की भाषा भी बन सके।

पाठ्यपुस्तक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का मूर्त रूप होती है जिसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्य बहुत बारीकी से पिरोए जाते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* तथा *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* में जिन बिंदुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है, उन बिंदुओं को इस पाठ्यपुस्तक में रचनात्मक रूप से समाहित करने की कोशिश की गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तक के दक्षतापूर्ण उपयोग पर ही उसकी संपूर्णता निर्भर करती है। वर्तमान समय में शिक्षा का शास्त्र और व्यवहार विद्यार्थियों की सहभागिता को ही दक्षता का पर्याय मानता है, इसलिए विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर ही इस पुस्तक का ताना-बाना बुना गया है। अतः शिक्षकों द्वारा पाठ्यपुस्तक का दक्षतापूर्ण उपयोग भी तभी संभव है जब उनकी तमाम शिक्षण तकनीकों के केंद्र में विद्यार्थी हों। इस दृष्टि से शिक्षक की भूमिका किसी उपदेशक या एकतरफा ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में नहीं हो सकती। पाठ्यपुस्तक की सामग्री का रचनात्मक उपयोग करने के लिए उसे एक प्रेरक की भूमिका निभानी पड़ेगी। विद्यार्थियों के किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने तमाम शिक्षण कार्य के दौरान भाषा और साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की चली आती परंपरागत पद्धतियों से आगे जाना पड़ेगा ताकि विद्यार्थी आधुनिक जीवन के परिवेश, समकालीन यथार्थ और दिन-प्रतिदिन के बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का काम शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक पाठ पढ़ाने के साथ पुस्तक में निर्देशित शैक्षिक गतिविधियों को कराते हुए विद्यार्थियों की भाषिक कुशलताओं को बढ़ाता है और जीवन-जगत के संबंध में उनके अनुभव क्षेत्र का विस्तार करता है। विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का काम भी भाषा और साहित्य की शिक्षा ही करती है, इसलिए भारत के बहुभाषी परिवेश को शिक्षण पद्धति का हिस्सा बनाना होगा

और उसे एक संसाधन के रूप में शामिल करना होगा। साझी संस्कृति, सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित समाज, बालिकाओं के प्रति समान दृष्टिकोण, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वर्ग और पर्यावरण एवं शांति जैसे संवेदनशील मुद्दे शिक्षकों से सकारात्मक व्यवहार की माँग करते हैं।

हम सभी जानते हैं कि शिक्षण की कोई एक विधि नहीं होती। हर शिक्षक अपने ढंग से पढ़ता-पढ़ाता है परंतु मौलिकता और सृजनात्मकता द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। सहायक सामग्री (संदर्भ से जुड़ी नई पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, ऑडियो-वीडियो, चित्र आदि) का उपयोग करते हुए शिक्षण को एकरसता और यांत्रिकता से बचाया जा सकता है। शिक्षक अपने कक्षा-अध्यापन को इस तरह व्यवस्थित करें कि विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण के सभी कौशलों के विकास का समुचित अवसर मिले, साथ ही विद्यार्थियों के भीतर जो कल्पनाशीलता, विस्मय, कौतूहल, जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता है, उसे विकसित किया जा सके।

हम जानते हैं कि साहित्य अंतरविषयी होता है और उसे समझने-समझाने के कोई पूर्व-निर्धारित उपाय भी नहीं होते। अंततः जीवन-जगत की संपूर्णता में ही साहित्य के पढ़ने-पढ़ाने को विस्तार देना चाहिए। विशेष रूप से कविता का कथ्य साझेदारी के बिना पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता। कविता का अर्थ खंडों में नहीं, समग्र प्रभाव के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। शिक्षण में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कविताओं का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसीलिए विद्यार्थियों को कल्पना करने की पूरी छूट देनी चाहिए। कविता अपनी वाक्य संरचना, शब्दों की स्थिति एवं लय के कारण गद्य से भिन्न होती है। गद्य की भाषा हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा के निकट होती है और उसमें विचार प्रधान होता है जबकि कविता की भाषा सामान्यतः संकेतात्मक होती है। हम कह सकते हैं कि कविता जीवन-अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह मनुष्य के भावजगत का विस्तार करती है, उसकी कल्पनाशक्ति को जगाती है और सौंदर्यबोध का विकास करती है।

सभी काल की कविताओं को एक ही पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। मध्यकालीन कविताओं में अलंकार, छंद विधान, तुक आदि के प्रति विशेष आग्रह रहा है जबकि आज की कविता में लय और प्रवाह का महत्व है, परंपरागत छंद और तुक आदि का नहीं। शिक्षकों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कवि की काव्य-संवेदना के निर्माण में उसके युग और परिवेश का हाथ होता है, इसलिए कविता पढ़ते समय कवि की युग-चेतना का बोध और अपने समय के प्रति सजगता दोनों आवश्यक हैं। तभी आज के समय में उस कविता की प्रासंगिकता को ठीक से समझा जा सकता है। संभव हो तो कविताओं की संगीतात्मक प्रस्तुति के ऑडियो-वीडियो उपलब्ध हों तो उसे भी सुनवाएँ। समय-समय पर शैक्षणिक भ्रमण और यात्राओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए।

गद्य विधाओं की भी अपनी विशेष संरचना होती है और प्रत्येक विधा को पढ़ने-पढ़ाने की विशिष्ट विधियाँ होती हैं। किसी विधा विशेष की रचना पढ़ते समय उसकी मूल विशेषता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए निबंध शिक्षण में अर्थ-ग्रहण की योग्यता विकसित करना और भाषा के



अभिव्यक्ति कौशल से विद्यार्थियों को परिचित कराना अपेक्षित है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण का और उसकी भाषा-शैली का विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की कल्पना, उत्सुकता एवं जिज्ञासा के विस्तार के लिए कहानी पढ़ाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि एक कहानी में कई कहानियाँ छिपी रहती हैं। शिक्षकों को ऐसे मोड़ों या बिंदुओं को खोजना होगा जहाँ से कहानी किसी भी दिशा में जा सकती है। ऐसी स्थिति से आगे की कल्पना करने (लिखित या मौखिक) के लिए विद्यार्थियों को कहा जा सकता है। साथ ही कहानी के अंतर्गत कई दृश्य-चित्र एवं शिक्षण बिंदु होते हैं। शिक्षकों को इन दृश्य-चित्रों एवं शिक्षण बिंदुओं का अभ्यास-कार्य द्वारा या किसी अन्य विधि से रचनात्मक उपयोग करना चाहिए, तभी कहानी वस्तु एवं शिल्प दोनों रूपों में विद्यार्थियों के ज्ञान का हिस्सा बन पाएगी। कहानी शिक्षण के दौरान शिक्षक प्रायोगिक रूप से कहानी को नाटक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ भी कर सकते हैं। निबंध, यात्रा-वृत्तांत और साक्षात्कार द्वारा युग विशेष की परिस्थितियों के आकलन के साथ-साथ वैयक्तिक गुणों, क्षमताओं और अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों की चर्चा इस तरह की जाए कि विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिल सके। नाटक या एकांकी को पढ़ते-पढ़ाते समय पठन के साथ-साथ उसके मंचन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को एकांकी में निहित सामाजिक या अन्य परिस्थितियों तथा पात्रों की मनःस्थिति को स्वयं अनुभव करने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया उन्हें सजग और संवेदनशील मनुष्य बनने की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार विभिन्न साहित्यिक विधाओं के लक्षणों और विशेषताओं को जानकर उनके अध्ययन-अध्यापन को सुगम बनाया जा सकता है।

शिक्षा की दुनिया में प्रायः यह कहा जाता है कि भाषा की कक्षाएँ रोचक और चुनौती भरी नहीं होतीं। आज इस मानसिकता को बदलना आवश्यक है। यह पुस्तक इस ओर एक छोटा-सा प्रयास है। इस पुस्तक को बनाते समय यह कोशिश की गई है कि भाषा की कक्षा विशेषकर 'हिंदी की घंटी' आनंददायी हो और विद्यार्थियों के मानसिक बोझ को हलका करने वाली भी। यहाँ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा रटने पर आधारित पद्धतियों का त्याग करे।

इस संकलन की रचनाएँ जहाँ एक ओर विद्यार्थियों में साहित्यिक संवेदना पैदा करने वाली हैं तो दूसरी ओर उन्हें जीवन के विविध संदर्भों से भी जोड़ती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी साहित्य की विविध विधाओं से परिचित हो सकें। वे एक ओर साहित्य की समृद्ध परंपरा की पहचान के लिए मध्यकालीन कविता का आस्वाद लें और आज के जीवन को जानने के लिए आधुनिक कविता का भी बोध प्राप्त करें। भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना को रैदास और तुलसीदास की कविताओं तथा स्वतंत्रता आंदोलन, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा को महत्व देने के लिए हिंदी कविता के विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अन्य कवियों की कविताओं को यहाँ संकलित किया गया है। प्रयास यह किया गया है कि हिंदी कविता की समृद्धि और शक्ति की एक झलक हमारे किशोर विद्यार्थियों को मिल सके। इस पाठ्यपुस्तक में लगभग चौदह रचनाकारों की रचनाएँ सम्मिलित हैं जिनमें सात गद्य रचनाएँ और पाँच कवियों की कविताएँ हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त पठन



के रूप में 'साथ-साथ पढ़ें' के अंतर्गत एक गद्य रचना और एक कविता भी दी गई है। अतिरिक्त पठन के लिए दी गई ये रचनाएँ विविध विषय केंद्रित हैं— पहली वीरगाथा है और दूसरी प्रकृति से संबंधित कविता है। कविताओं की प्रस्तुति में ऐतिहासिक कालक्रम को ध्यान में रखा गया है। उद्देश्य यह रहा है कि मध्यकाल और आधुनिक काल की विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों की कविताओं के माध्यम से विद्यार्थी हिंदी कविता की विकास-यात्रा से परिचित हो सकें।

गद्य विधाओं के चयन में यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक विधाओं और विविध गद्य शैलियों का आस्वादन कर सकें। कहानी, यात्रा-वृत्तांत, निबंध, साक्षात्कार, एकांकी आदि विधाओं की कुल सात गद्य रचनाएँ पुस्तक में रखी गई हैं। पुस्तक तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि रचनाएँ जीवन की बृहत्तर परिधि से जुड़ी हुई हों। वे एक ओर तो साहित्यिक विधाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हों तथा दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों का भी। हम साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास कर सकें। भारतीय समाज के बहुभाषिक परिवेश को भी ध्यान में रखा गया है। आशा है कि संकलित रचनाएँ विद्यार्थियों को रुचिकर लगेंगी और उन्हें अन्य रचनाएँ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

अभ्यास-प्रश्नों और आकलन की दृष्टि से इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है उसका नया प्रस्तुतीकरण। यह नया प्रस्तुतीकरण अभ्यास-प्रश्नों के माध्यम से किया गया है। पाठ्यपुस्तक में रचनाएँ एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास-प्रश्न उन रचनाओं को परखने और पाठ से गहराई से जुड़ने का अवसर देते हैं। वे विद्यार्थियों को स्वतंत्र और मौलिक रूप से सोचने की प्रेरणा भी देते हैं, इसलिए इस पुस्तक में संदर्भ को फैलाने वाले, कल्पना को विस्तार देने वाले और वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पुस्तक में दी गई रचनाओं को समझ के साथ पढ़ने, उन पर तार्किक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक समझ के साथ विचार करने की दृष्टि से अभ्यास-प्रश्नों में विविधता का ध्यान रखा गया है। यह भी ध्यान रखा गया है कि अलग-अलग रुचियों और क्षमताओं के रूप में स्वयं को व्यक्त करने वाले विद्यार्थियों को सीखने के अवसर मिलें। अभ्यास-प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार की है कि हर परिवेश, भाषा और सामाजिक स्तर के विद्यार्थी समाहित हो सकें और उनको चिंतन करके प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर मिले। साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि वे विशेष शोधपरक दृष्टि से पाठ्यक्रम से परे भी अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित हों (4.43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

अभ्यास-प्रश्नों को मुख्य रूप से आठ शीर्षकों में बाँटा गया है— रचना से संवाद, विधा से संवाद, विषयों से संवाद, सृजन, भाषा से संवाद, गतिविधियाँ, झरोखे से और खोजबीन।

रचना से संवाद के अंतर्गत रचना से सीधे जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अनुभव और विचार संबंधी प्रश्नों को समाहित किया गया है। अपेक्षा यह है कि विद्यार्थी को व्यक्तिगत अनुभव और विचार के साथ-साथ सामूहिक अनुभव को प्रस्तुत करने का अवसर मिले।



विधा से संवाद के अंतर्गत रचना की विधा से संबंधित ऐसे अभ्यास-प्रश्न दिए गए हैं जिनके माध्यम से साहित्य की विविध विधाओं की विशेषताओं, उनकी परतों और सौंदर्य से विद्यार्थी न केवल परिचित हों, बल्कि स्वयं उनकी पड़ताल भी कर सकें।

विषयों से संवाद के अंतर्गत साहित्य के अंतरविषयी संबंध से जुड़े प्रश्न दिए गए हैं। साहित्य के अंतर्गत समाज विज्ञान, विज्ञान, कला, कानून, अर्थशास्त्र, प्रकृति-पर्यावरण इत्यादि सभी विषय समाहित होते हैं। साहित्य बहुत से विषयों को समाहित करते हुए निर्मित होता है, लेकिन अंततः वह साहित्य होता है। इसलिए भाषा-साहित्य को पढ़ते हुए उसकी परिधि और व्यापकता में बहुत से अन्य विषयों पर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है।

सृजन शीर्षक के अंतर्गत साहित्य में लेखन, कला, खेल, कल्पना, चिंतन और स्वयं करके सीखने से संबंधित गतिविधियाँ दी गई हैं जिससे कल्पना और सृजन को विस्तार मिलेगा।

भाषा से संवाद शीर्षक के अंतर्गत पाठों में आए भाषिक संदर्भों (व्याकरण) को आधार बनाते हुए उनके विश्लेषण संबंधी प्रश्नों को समाहित किया गया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाक्य विवेचन या बहुभाषिक स्वरूप को जीवंत अनुभवों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है।

गतिविधियाँ शीर्षक के अंतर्गत पाठ से जोड़ते हुए ऐसी गतिविधियाँ दी गई हैं जिनसे विद्यार्थियों को अन्य साहित्यिक विधाओं, पत्र, विज्ञापन आदि लिखने का अवसर तो मिले ही, उनकी कल्पना और रचनात्मकता भी समृद्ध हो सके। इन्हें 'विद्यालय में कक्षा के अतिरिक्त' भी किया जा सके।

झरोखे से के अंतर्गत पाठ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी रचनाएँ दी गई हैं जो पाठ के प्रति विद्यार्थियों की रुचि और समझ को और अधिक विस्तार दे सकेंगी। ये रचनाएँ ऐसे झरोखे हैं जिनसे झाँककर विद्यार्थी साहित्य की विशाल दुनिया का आनंद उठा सकेंगे। दूसरी ओर, इन झरोखों के माध्यम से साहित्य तथा सृजन के विविध स्वरूपों से जुड़ सकेंगे।

खोजबीन के अंतर्गत पाठों से जुड़ी कुछ सामग्री (ऑडियो, वीडियो या प्रिंट के रूप में) के लिंक खोजबीन के लिए दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों के पठन का विस्तार हो सके और साथ ही रचनाओं के प्रति उनकी समझ समृद्ध हो।

इस पुस्तक में 'भाषा संगम' शीर्षक से दो प्रकार की प्रस्तुतियाँ दिखाई पड़ेंगी। एक, पुस्तक के प्रारंभ में भारतीय भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा की रचना, जैसे इसमें गुजराती भाषा की 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' रचना दी गई है। दूसरे, रचना में आए किसी एक केंद्रीय शब्द को भारतीय भाषाओं में अनुवाद के रूप में दिया गया है। अपेक्षा यह है कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों का अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति तो झुकाव होगा ही, इसके साथ-साथ बहुत-सी भारतीय भाषाओं को एक साथ रखकर उनकी समानता, सौंदर्य और विशेषता पर कक्षा में विचार करने का अवसर मिलेगा।

अभ्यास-प्रश्नों में जगह-जगह भारतीय भाषाओं से संबंधित गतिविधियाँ भी दी गई हैं।

पुस्तक को रुचिकर और पठनीय बनाने में चित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखकों के परिचय के साथ उनके चित्र भी दिए गए हैं। रचनाओं से जुड़े कुछ चित्र भी पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। ये चित्र रचना की व्याख्या करते हुए उन्हें समझने में सहायता तो करते ही हैं, उन्हें विस्तार भी देते हैं।

आशा है, विद्यार्थी इस पुस्तक को बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ पढ़ेंगे और हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य के साथ-साथ व्यापक सामाजिक जीवन की चेतना प्राप्त करेंगे।

संध्या सिंह
प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग एवं
संयोजक, पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह, हिंदी
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

महेश चंद्र पंत, कुलाधिपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (अध्यक्ष)

मञ्जुल भार्गव, प्रोफेसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (सह-अध्यक्ष)

सुधा मूर्ति, प्रतिष्ठित लेखिका एवं शिक्षाविद

शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

सुजाता रामदोरई, प्रोफेसर, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कनाडा

शंकर महादेवन, संगीत विशेषज्ञ, मुंबई

यू. विमल कुमार, निदेशक, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु

सुरीना राजन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), हरियाणा एवं पूर्व महानिदेशक, एच.आई.पी.ए.

चमू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय

संजीव सान्याल, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)

गजानन लोंढे, प्रमुख, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

रेबिन छेत्री, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम

प्रत्युष कुमार मंडल, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष (अनुदेश), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूरु

दिनेश कुमार, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष (अनुसंधान), रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

कीर्ति कपूर, पूर्व प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
(सदस्य-सचिव)



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और 'राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष

सुरेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सदस्य

अंजनी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

अक्षय कुमार दीक्षित, टी.जी.टी. (हिंदी), आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय, छतरपुर, नई दिल्ली

अनुराधा, पी.जी.टी. (हिंदी) (अवकाश प्राप्त), सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली

चमन लाल गुप्त, प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

नंद किशोर पांडेय, कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

नीलकंठ कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

प्रणय कुमार, विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं संस्कृत विभाग, एल.के. सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, गोटन

मीनू सिंह, पी.जी.टी. (हिंदी), सर्वोदय कन्या विद्यालय, रजोकरी, नई दिल्ली

राजीव रंजन सिन्हा, पी.जी.टी. (हिंदी), सर्वोदय सह-शिक्षा विद्यालय, मेहराम नगर, नई दिल्ली

लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, पी.जी.टी. (हिंदी), राजकीय इंटर कॉलेज, कोटी कॉलोनी, कलसी ब्लॉक, देहरादून

विवेकानंद उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

शारदा कुमारी, प्राचार्य (अवकाश प्राप्त), डी.आई.ई.टी., आर.के. पुरम, सेक्टर-7, नई दिल्ली

संजय कुमार श्रीवास्तव, पी.जी.टी. (हिंदी), महात्मा गाँधी इंटर कॉलेज, गोरखपुर

साकेत बहुगुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर (भाषाविज्ञान), केंद्रीय हिंदी संस्थान (दिल्ली केंद्र), नई दिल्ली

सुमन कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, गवर्मेन्ट सेकेंडरी स्कूल, कौड़िया वसंती, भगवानपुर हाट, सिवान

सदस्य-समन्वयक

संध्या सिंह, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग एवं संयोजक, पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (हिंदी भाषा उप-समूह),

रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

सदस्य सह-समन्वयक

नरेश कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों; पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (भाषा) के सभी सदस्यों तथा अन्य अंतःसंबंधी विषयों के लिए गठित पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के प्रति इस पुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन एवं समीक्षा हेतु बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान; अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग; अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग; अध्यक्ष, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग; अध्यक्ष, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग; अध्यक्ष, जेंडर अध्ययन विभाग; अध्यक्ष, कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग के साथ ही इन विभागों के सदस्यों का पाठ्यपुस्तक में अंतरानुशासनिक विषयों के अंतःसंबंध को सुनिश्चित करने के लिए आभार व्यक्त करती है।

इस पुस्तक में जिन रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, उनकी स्वीकृति देने के लिए सभी रचनाकारों, उनके परिजनों एवं उनसे संबद्ध प्रकाशकों के प्रति परिषद् अपना आभार व्यक्त करती है।


इस पाठ्यपुस्तक में योगदान के लिए श्याम सिंह सुशील, लेखक, दिल्ली के प्रति परिषद् विशेष आभार प्रकट करती है।

परिषद्, वरिष्ठ शोध सहायक— सुनीत मिश्र; कनिष्ठ परियोजना अध्येता— प्रिया, सत्यम सिंह, अरुण कुमार, सोनम सिंह तथा राहुल कुमार यादव; और तकनीकी सहयोग हेतु फरहीन फातिमा, डी.टी.पी. ऑपरेटर का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, इस पुस्तक के संपादन के लिए प्रकाशन प्रभाग में कार्यरत अतुल मिश्रा, संपादक (संविदा); अब्दुल मजीद, प्रूफरीडर (संविदा) के प्रति तथा इस पुस्तक को प्रकाशन हेतु अंतिम रूप से तैयार करने के लिए पवन कुमार बरियार, प्रभारी, डी.टी.पी. प्रकोष्ठ; विवेक राजपूत, उपासना, अनिता कुमारी और मनोज कुमार, डी.टी.पी. ऑपरेटर (संविदा) के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

बंगला

भारत की प्रमुख नदियों में गंगा, हमारी सभ्यता व संस्कृति का अविरल प्रवाह है। गंगोत्री से निकलकर इसकी धारा गंगासागर (बंगाल की खाड़ी) तक जाती है। इस तरह गंगा भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जीवन-रेखा है। गंगा की तरह हिंदी भी हमारी सभ्यता व संस्कृति की एक पहचान है। हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र में बोली, समझी व पढ़ी जाती है। गंगा पाठ्यपुस्तक भी न केवल विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता विकसित करती है बल्कि उन्हें भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के सतत प्रवाह से भी जोड़ती है।



विषय-क्रम




| | |
|--------------------------------------|-------|
| आमुख | iii |
| यह पुस्तक | v |
| भाषा संगम— वैष्णव जन तो तेने कहिए... | xviii |

गद्य खंड

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| 1. दो बैलों की कथा | प्रेमचंद | 3 |
| 2. क्या लिखूँ? | पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी | 30 |
| 3. संवादहीन | शेखर जोशी | 45 |
| 4. ऐसी भी बातें होती हैं (लता मंगेशकर से साक्षात्कार) | यतींद्र मिश्र | 62 |
| 5. आखिरी चट्टान तक | मोहन राकेश | 84 |
| 6. रीढ़ की हड्डी | जगदीशचंद्र माथुर | 100 |
| 7. मैं और मेरा देश | कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' | 120 |
| निर्मल जीत सिंह सेखों (साथ-साथ पढ़ें) | रा.शै.अ.प्र.प. | 139 |

काव्य खंड

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| 8. पद | रैदास | 145 |
| 9. राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद | तुलसीदास | 153 |
| 10. भारति, जय, विजयकरे! | सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' | 166 |
| 11. झाँसी की रानी | सुभद्रा कुमारी चौहान | 176 |
| 12. घर की याद | भवानीप्रसाद मिश्र | 194 |
| तब याद तुम्हारी आती है (साथ-साथ पढ़ें) | रामनरेश त्रिपाठी | 206 |



भाषा संगम


वैष्णव जन तो तेने कहिए...

वैष्णव जन तो तेने कहिए,
जे पीड़ फाई जागे रा
परतुखे ठगकार करे तोये,
मम अभिमान न आगे रा
सकल लोकमां सहजे की,
निंदा न करे केनी रा
बाच काछ मम निरखल गांवे,
धन-धन बननी तेनी रा
समदृष्टी ने तुम्हा लखी,
परस्त्री जेने मात रा
बिहवा थकी असत्य न बोले,
परधन नव झाले हाथ रा
मोह माया व्यापे नहीं जेने,
दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रा
गमनामयुं तालीं लानी,
सकल तीरथ तेना तनमां रा
बनलौमी ने करतरहित छे,
काम क्रोध निवार्यो रा
भगे नरसैयो तेनुं दरसन करतां,
कुल एकरे तार्यो रा

— नरसी मेहता
(गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि)



गद्य खंड



आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे
प्रधान साहित्यिक घटना है।

- रामचंद्र शुक्ल

गद्य जीवन संग्राम की भाषा है।

- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी
एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता
है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास सभी
उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।

- प्रेमचंद




0901CH01



प्रेमचंद

प्रेमचंद का जन्म सन् 1880 में लमही (वाराणसी), उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए।




प्रेमचंद की कहानियाँ *मानसरोवर* के आठ भागों में संकलित हैं। *सेवासदन*, *प्रेमाश्रम*, *रंगभूमि*, *कायाकल्प*, *निर्मला*, *गबन*, *कर्मभूमि*, *गोदान* उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने *हंस*, *जागरण*, *माधुरी* पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गाँव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं।

प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन् 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया।

‘दो बैलों की कथा’ में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें ‘पंचतंत्र’ और ‘हितोपदेश’ जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है।





दो बैलों की कथा

जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दरजे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है; किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो; पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख-दुख, हानि-लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों-मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं; पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित् सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है? क्यों अमरीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है, वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।

लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है 'बैल'। जिस अर्थ में हम 'गधा' शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते-जुलते अर्थ में 'बछिया के तारु' का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे; मगर हमारा विचार ऐसा नहीं



है। बैल कभी-कभी मारता भी है, कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है; अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है।

झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे— देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊँचे। बहुत दिनों साथ रहते-रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने-सामने या आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक-भाषा में विचार-विनिमय करते थे। एक, दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक-दूसरे को चाटकर और सूँघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे— विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गरदन हिला-हिलाकर चलते, उस वक्त हरएक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा-से-ज्यादा बोझ मेरी ही गरदन पर रहे। दिन-भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, तो एक-दूसरे को चाट-चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाँद में खली-भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाँद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता, तो दूसरा भी हटा लेता था।

संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते; पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुँकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, तो झूरी से पूछते— तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने-चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया?

संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन-भर के भूखे थे, लेकिन जब नाँद में लगाए गए, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गाँव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों-से लगते थे।



दोनों ने अपनी मूक-भाषा में सलाह की, एक-दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गाँव में सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा; पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक-एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं।

झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गरदनोँ में आधा-आधा गराँव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आँखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है।

झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गद्गद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।


घर और गाँव के लड़के जमा हो गए और तालियाँ बजा-बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल-सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु-वीरों को अभिनंदन-पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियाँ लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी।

एक बालक ने कहा— “ऐसे बैल किसी के पास न होंगे।”

दूसरे ने समर्थन किया— “इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए।”

तीसरा बोला— “बैल नहीं हैं वे, उस जनम के आदमी हैं।”

इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ।



झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी। बोली- “कैसे नमक-हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया; भाग खड़े हुए।”

झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका- “नमकहराम क्यों हैं? चारा-दाना कुछ न दिया होगा, तो क्या करते?”

स्त्री ने रोब के साथ कहा- “बस, तुम्हीं तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला-पिलाकर रखते हैं।”

झूरी ने चिढ़ाया- “चारा मिलता तो क्यों भागते?”

स्त्री चिढ़ी- “भागे इसलिए कि वे लोग तुम-जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। खिलाते हैं, तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूँ, कहाँ से खली और चोकर मिलता है! सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूँगी, खाएँ चाहें मरें।”

वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाँद में मुँह डाला, तो फीका-फीका। न कोई चिकनाहट, न कोई रस। क्या खाएँ? आशा-भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे।

झूरी ने मजूर से कहा- “थोड़ी-सी खली क्यों नहीं डाल देता?”

“मालकिन मुझे मार ही डालेंगी।”

“चुराकर डाल आ।”

“ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की-सी कहोगे।”

2

दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अबकी उसने दोनों को गाड़ी में जोता।

दो-चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा; पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था।

संध्या-समय घर पहुँचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बाँधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी।

दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा।

नाँद की तरफ आँखें तक न उठाईं।



दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते-मारते थक गया; पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत, सब टूट-टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी-बड़ी रस्सियाँ न होतीं, तो दोनों पकड़ाई में न आते।

हीरा ने मूक-भाषा में कहा— “भागना व्यर्थ है।”

मोती ने उत्तर दिया— “तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी।”

“अबकी बड़ी मार पड़ेगी।”

“पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे?”

गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं।

मोती बोला— “कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है।”

हीरा ने समझाया— “नहीं भाई! खड़े हो जाओ।”

“मुझे मारेगा, तो मैं भी एक-दो को गिरा दूँगा!”

“नहीं। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है।”

मोती दिल में ऐंठकर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है।

आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी-सी लड़की दो रोटियाँ लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती; पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरो की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी।

दोनों दिन-भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बाँध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ



खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो-दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आँखों में, रोम-रोम में विद्रोह भरा हुआ था।

एक दिन मोती ने मूक-भाषा में कहा— “अब तो नहीं सहा जाता, हीरा!”

“क्या करना चाहते हो?”

“एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूँगा।”

“लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की, जो हमें रोटियाँ खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी?”

“तो मालकिन को न फेंक दूँ। वही तो उस लड़की को मारती है।”

“लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो।”

“तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलो।”

“हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे?”

“इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा-सा चबा लो। फिर एक झटके में टूट जाती है।”

रात को जब बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में न आती थी। बेचारे बार-बार जोर लगाकर रह जाते थे।

सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली— “खोले देती हूँ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएँ।”

उसने गाँव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।

मोती ने अपनी भाषा में पूछा— “अब चलते क्यों नहीं?”

हीरा ने कहा— “चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे।” सहसा बालिका चिल्लाई— “दोनों फूफावाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा! दादा! दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो।”

गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गाँव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए-नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए।



हीरा ने कहा- “मालूम होता है, राह भूल गए।”

“तुम भी बेतहाशा भागो वहीं उसे मार गिराना था।”

“उसे मार गिराते, तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें?”

दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह-रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है।

जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने-कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। फिर सींग मिलाए और एक-दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभलकर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा- खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया।

3

अरे! यह क्या? कोई साँड़ डौंकता चला आ रहा है। हाँ, साँड़ ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगलें झाँक रहे हैं। साँड़ पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है; लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है!

मोती ने मूक-भाषा में कहा- “बुरे फँसे। जान बचेगी? कोई उपाय सोचो।”

हीरा ने चिंतित स्वर में कहा- “अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू-विनती न सुनेगा।”

“भाग क्यों न चलें?”

“भागना कायरता है।”

“तो फिर यहीं मरो। बंदा तो नौ-दो-ग्यारह होता है।”

“और जो दौड़ाए?”

“तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द!”

“उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी, तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है; पर दूसरा उपाय नहीं है।”

दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। साँड़ को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुरबा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्योंही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। साँड़ उसकी तरफ मुड़ा, तो हीरा ने रगेदा। साँड़ चाहता था कि एक-एक करके



दोनों को गिरा ले; पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे यह अवसर न देते थे। एक बार साँड़ झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। साँड़ क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। यहाँ तक कि साँड़ बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया।

दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे।

मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा— “मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूँ!”

हीरा ने तिरस्कार किया— “गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए।”

“यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।”

“अब घर कैसे पहुँचेंगे, वह सोचो।”

“पहले कुछ खा लें, तो सोचें।”

सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धँसने लगे। न भाग सका। पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा, संगी संकट में है, तो लौट पड़ा। फँसेंगे तो दोनों फँसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया।

प्रातःकाल दोनों मित्र काँजीहौस में बंद कर दिए गए।

4

दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था, यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे; पर किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुरदों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे; पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती?

रात को भी जब कुछ भोजन न मिला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला— “अब तो नहीं रहा जाता मोती!”





मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया- “मुझे तो मालूम होता है, प्राण निकल रहे हैं।”

“इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई! यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए।”

“आओ दीवार तोड़ डालें।”

“मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा।”

“बस इसी बूते पर अकड़ते थे!”

“सारी अकड़ निकल गई।”

बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़-दौड़कर दीवार पर चोटें कीं और हर चोट में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी गिराने लगा।

उसी समय काँजीहौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी-सी रस्सी से बाँध दिया।

मोती ने पड़े-पड़े कहा- “आखिर मार खाई, क्या मिला?”

“अपने बूते-भर जोर तो मार दिया।”

“ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए।”

“जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएँ।”

“जान से हाथ धोना पड़ेगा।”

“कुछ परवाह नहीं। यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जातीं। इतने भाई यहाँ बंद हैं। किसी की देह में जान नहीं है। दो-चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएँगे।”

“हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ।”

मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी-सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा है। आखिर कोई दो घंटे की जोर-आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई।



उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, तो आधी दीवार गिर पड़ी।

दीवार का गिरना था कि अधमरे-से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं। फिर बकरियाँ निकलीं। इसके बाद भैंसों भी खिसक गईं; पर गधे अभी तक ज्यों-के-त्यों खड़े थे।

हीरा ने पूछा— “तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते?”

एक गधे ने कहा— “जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएँ!”

“तो क्या हरज है। अभी तो भागने का अवसर है।”

“हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे।”

आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया, तो हीरा ने कहा— “तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। शायद कहीं भेंट हो जाए।”

मोती ने आँखों में आँसू लाकर कहा— “तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ।”

हीरा ने कहा— “बहुत मार पड़ेगी। लोग समझ जाएँगे यह तुम्हारी शरारत है।”

मोती गर्व से बोला— “जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े, तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि नौ-दस प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे।”

यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार-मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा।

भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस, इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बाँध दिया गया।

5

एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बँधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था; ठठरियाँ निकल आई थीं।

एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते-होते वहाँ पचास-साठ आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग



आ-आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता?

सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आँखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उँगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक-दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया।

हीरा ने कहा— “गया के घर से नाहक भागे। अब जान न बचेगी।”

मोती ने अश्रुद्धा के भाव से उत्तर दिया— “कहते हैं, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती।”

“भगवान के लिए हमारा मरना-जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। क्या अब न बचाएँगे?”

“यह आदमी छुरी चलाएगा। देख लेना।”

“तो क्या चिंता है? माँस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी-न-किसी काम आ जाएँगी।”

नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी-बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते-पड़ते भागे जाते थे; क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था।

राह में गाय-बैलों का एक रेवड़ हरे-हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चपला कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीव था इनका; पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई अधिक के हार पड़े कैसे दुखी हैं।

सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें गया था। वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह? यह लो! अपना ही हार आ गया। इसी कुँ पर हम पुर चलाने आया करते थे; यही कुँआँ है।

मोती ने कहा— “हमारा घर नगीच आ गया।”

हीरा बोला— “भगवान की दया है।”

“मैं तो अब घर भागता हूँ।”

“यह जाने देगा?”

“इसे मैं मार गिराता हूँ।”



“नहीं-नहीं, दौड़कर थान पर चलो। वहाँ से हम आगे न जाएँगे।”

दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भाँति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे-पीछे दौड़ा चला आता था।

झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आँखों से आनंद के आँसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं।

झूरी ने कहा— मेरे बैल हैं।

“तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशीखाने से नीलाम लिए आता हूँ।”

“मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो! चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं। मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है?”

“जाकर थाने में रपट कर दूँगा।”

“मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।”

दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका; पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भाँति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग यह तमाशा देखते थे और हँसते थे।

जब दड़ियल हारकर चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा।

हीरा ने कहा—“मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो।”

“अगर वह मुझे पकड़ता, तो मैं बे-मारे न छोड़ता।”

“अब न आएगा।”

“आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ, कैसे ले जाता है।”

“जो गोली मरवा दे?”

“मर जाऊँगा; पर उसके काम तो न आऊँगा।”

“हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता।”

“इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं।”

जरा देर में नाँदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गाँव में उछाह-सा मालूम होता था।

उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।



अभ्यास

रचना से संवाद

मेरे उत्तर मेरे तर्क

निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं?

- कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है?
 - प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता
 - एकता और सहयोग
 - गर्व और दंभ
 - विद्रोह और क्रोध
- हीरा-मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया?
 - उन्हें भरपेट भोजन दिया गया।
 - उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बाँधा गया।
 - मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा।
 - उन्हें अलग-अलग बाँधा गया।
- बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया?
 - कष्टों से बचने के लिए
 - स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए
 - अभिमान की रक्षा के लिए
 - अपनापन पाने के लिए
- गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है?
 - स्वाभिमान
 - अहिंसा
 - पराधीनता
 - अन्याय की रक्षा
- कहानी में बैलों की 'मूक-भाषा' का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया?
 - कहानी को रोचक बनाने के लिए
 - मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए



- (ग) संवादों को छोटा रखने के लिए
 (घ) कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए
6. 'दो बैलों की कथा' को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें, तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं?
- (क) भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के
 (ख) स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के
 (ग) सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के
 (घ) स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के

मेरी समझ मेरे विचार

नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए—

1. "दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी।" जब बैल नए मालिक के यहाँ गए, तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था?
2. "गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी।" बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे?
 (संकेत— वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन-कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है आदि।)
3. "मोती ने मूक-भाषा में कहा— अब तो नहीं सहा जाता, हीरा!"
 'कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है' इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए।
4. "जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया..." हीरा एवं मोती 'स्वतंत्रता' और 'अपनापन' दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए।
5. "बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी।"
 'अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है'— क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए।
6. "बहुत दिनों साथ रहते-रहते दोनों में भाईचारा हो गया था।" हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन-किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम तीन बिंदु लिखिए।
7. "उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।" कहानी में मालकिन और छोटी लड़की, दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए।





मेरी कल्पना मेरे अनुमान

1. “उसने उनके माथे सहलाए और बोली— खोले देती हूँ चुपके से भाग जाओ...” यदि आप वह छोटी लड़की होते, तो बैलों की मदद किस प्रकार करते?
2. “दोनों गधे अभी तक ज्यों-के-त्यों खड़े थे।” भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए।

मेरे अनुभव मेरे विचार

1. “दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता।” क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए।
2. “हीरा ने तिरस्कार किया— गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए।”
“यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।”
आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं— हीरा के या मोती के या दोनों के? क्यों?
3. “हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ?” क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए।



विधा से संवाद

कहानी की पड़ताल

कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।

कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं।

आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए—



| | |
|-------------------------------|--|
| शीर्षक और लेखक | |
| विषय | |
| क्रिया/कार्य | |
| परिवेश/देश-काल और मुख्य विचार | |
| चरित्र/पात्र | |
| परिणाम | |

कहानी का सौंदर्य

“दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं।”

इस वाक्य को पढ़कर आँखों के सामने एक दृश्य-सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। ‘दो बैलों की कथा’ कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं।

नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक-एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए—

| विशेषता | विशेषता का अर्थ | उदाहरण 1 | उदाहरण 2 |
|-----------------|--|---|---|
| चित्रात्मक भाषा | शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियाँ बनाना। | घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। | सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। |
| संवादात्मकता | कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। | मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। | |
| विरोधाभास | एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। | झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गद्गद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी। | |





| विशेषता | विशेषता का अर्थ | उदाहरण 1 | उदाहरण 2 |
|------------|--|---|----------|
| व्यंग्य | वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष (चुभते हुए संकेतों) के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। | भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है? अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। | |
| संघर्ष | दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। | उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है; लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। (बैल बनाम साँड़) | |
| अतिशयोक्ति | किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। | झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। | |
| संदेह/उलझन | जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाता। | सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था, यह कैसा स्वामी है? | |

कहानी की रचना

प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत/बिंदुओं को ढूँढ़कर लिखिए।



विषयों से संवाद

कहानी का समय और समाज

‘दो बैलों की कथा’ कहानी जिस समय लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने-अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे।



इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए—

| कहानी में से वाक्य | स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव |
|--|--|
| 1. जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएँ | 1. भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। |
| 2. मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। | 2. भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे-धीरे गहराता गया। |
| 3. हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। | 3. ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। |
| 4. दोनों मित्रों की आँखों में, रोम-रोम में विद्रोह भरा हुआ था। | 4. दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। |
| 5. इतना तो हो ही गया कि नौ-दस प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। | 5. स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। |
| 6. साँड़ पूरा हाथी है... पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। | 6. स्वतंत्रता सेनानी बार-बार जेल गए, फाँसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। |

पशुओं के लिए कानून

नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

“मैं तो समझता हूँ, चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं। मैं बेचूँगा, तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है!”

“जाकर थाने में रपट कर दूँगा।”

“मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।”

1. बैलों का काँजीहाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे?
2. यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन-कौन से कानूनी अधिकार माँगेंगे?



3. मान लीजिए कि हीरा-मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से आपकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए।
(संकेत - "थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम... है। हमारे साथ अन्याय हुआ है...।")

सहपाठी सहोदर और संस्कृति

1. "यह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें!"
कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन-से कार्य करने योग्य हैं और कौन-से नहीं। वे कौन-कौन से कार्य कभी नहीं करते थे?
2. "गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए।"
"लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो।"
हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं?
3. "दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता"
(क) खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए।
(ख) भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। लिखिए कि भारतीय गाँवों एवं शहरों में भी बैल किस-किस काम में सहायक होते हैं?

अलग-अलग और साथ-साथ

"दो-चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा; पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था।"

1. कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएँ लिखिए।
(संकेत- धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि)
2. हीरा और मोती की विशेषताएँ कुछ-कुछ समान और कुछ-कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएँ एक-दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे?
3. आपकी कक्षा में भी कुछ-कुछ समान और कुछ-कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएँ भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं? उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं?
(संकेत- क्या-क्या करें और क्या-क्या न करें, कैसे पढ़ाई खेल आदि में एक-दूसरे की सहायता करें और साथ दें)



4. “दोनों आमने-सामने या आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक-भाषा में विचार-विनिमय करते थे।”

कहानी में अनेक स्थानों पर ‘मूक-भाषा’ का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए।

5. आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब-कब? कहाँ-कहाँ? कुछ उदाहरण लिखिए।

भारतीय सांकेतिक भाषा

आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी (लिंक) पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं—

<https://www.youtube.com/@ISLRTC>

<https://islrte.nic.in/>

मार्ग खोजेंगे कैसे?

“सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए-नए गाँव मिलने लगे।”

1. हीरा-मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था?
2. यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए।

(संकेत— ऑनलाइन मानचित्र, पुलिस, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना-पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते, डाकघर आदि।)

3. आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन-सा मार्ग है।



सृजन

1. हीरा और मोती की दैनंदिनी

कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख-पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नजर से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें काँजीहाउस ले जाया गया।





कैसे लिखें—

- “आज का दिन...” से आरंभ करें।
- भावनाएँ लिखें (भूख, गुस्सा, दर्द)।
- अंत में आशा या संकल्प लिखें।

(संकेत— “आज हमें काँजीहाउस में बंद किया गया। भूख से पेट जल रहा है। पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा।”)

2. आज के समाचार

मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के काँजीहाउस से भागने का समाचार लिखिए।

कैसे लिखें—

- शीर्षक दें।
- घटना का विवरण (कहाँ, कब, क्या हुआ)।
- परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया।

(संकेत— शीर्षक ‘दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियाँ’)

3. कहानी का नया अंत

यदि बैल वापस न लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता? कहानी का नया अंत लिखिए।

कैसे लिखें—

- बैलों की नई जगह।
- झूरी की स्थिति।

(संकेत— “हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं।”)

4. चित्रकथा लेखन


नीचे ‘दो बैलों की कथा’ की एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए।


कैसे लिखें—

- हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए।
- दृश्य का क्रम— बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आजादी।

(संकेत— चित्र 4: “अब हम आजाद हैं।”)





 **भाषा से संवाद**

व्याकरण की बात

मेरे शब्द

कहानी में से पाँच ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए।





भाषा गढ़ते मुहावरे

“लोग आ-आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते।”

‘मन फीका करना’ एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते-जुलते मुहावरे हैं— जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। ‘दो बैलों की कथा’ कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है।

कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचानकर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए—

1. “झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतों पसीना आ गया।”
2. “उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे।”
3. “झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी।”
4. “मोती दिल में ऐँठकर रह गया।”
5. “आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है।”
6. “जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं।”
7. “अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते।”
8. “तो फिर वहीं मरो। बंदा तो नौ-दो ग्यारह होता है।”

गतिविधियाँ

नीचे दी गई गतिविधियाँ अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए—

1. कविता (गीत) और अभिनंदन-पत्र
“बाल-सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन-पत्र देना चाहिए।”
(क) मान लीजिए कि बाल-सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए।
(ख) हीरा और मोती के लिए अभिनंदन-पत्र लिखिए।
2. बाल सभा में भाषण
मान लीजिए कि आपको बाल-सभा ने हीरा-मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है। भाषण का विषय है— ‘पशुओं के अधिकार’। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।



3. शीर्षक

इस कहानी के पाँच भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

दो पहलियाँ

अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहलियाँ बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों—

हीरा, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी

भाषा संगम

“कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है।”

नीचे 'बैल' शब्द के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है।

बैल (हिंदी); वृषभः (संस्कृत); वओलद, बल्द (पंजाबी); बैल (उर्दू); दोंद (कश्मीरी); ढगो (सिंधी); बैल (मराठी); बळद (गुजराती); बैल (कोंकणी); गोरु (नेपाली); बलद (बांग्ला); षाँड़, बलध (असमिया); शन लावा (मणिपुरी); बलद (ओड़िआ); एंददु (तेलुगु); एरिदु/काळैमाहु (तमिल); काळ (मलयालम); एत्तु (कन्नड़)।

- इनके अतिरिक्त यदि आप 'बैल' शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए।
- उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए।

<https://shabd.education.gov.in/lexicon.jsp>

खोजबीन

दो बैलों की कथा

https://www.youtube.com/watch?v=cq0Lgg7iM14&ab_channel=NCERTOFFICIAL

कथा सम्राट— प्रेमचंद

https://www.youtube.com/watch?v=3314rJcclul&ab_channel=NCERTOFFICIAL

प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियाँ

https://www.youtube.com/watch?v=bg0MzrE36Dg&t=187s&ab_channel=NCERTOFFICIAL



शब्द-संपदा

| | |
|----------------------|--|
| निरापद | — आपत्ति से रहित, निर्विघ्न, सुरक्षित |
| सहिष्णुता/सहिष्णुत्व | — सहनशीलता, क्षमा |
| विषाद | — उदासी, अवसाद, जड़ता, मन उचट जाना |
| पराकाष्ठा | — अंतिम सीमा, चरम कोटि या सीमा, |
| कदाचित् | — कभी, शायद |
| पछाई/पछाँह | — पश्चिमी प्रदेश का, पश्चिम दिशा |
| चौकस | — चौकन्ना, सावधान, ठीक |
| डील | — शरीर की ऊँचाई-चौड़ाई आदि, कद, देह, शरीर |
| विग्रह | — अलगाना, फैलाना, फूट पैदा करना, खंड, भाग, विस्तार |
| विनोद | — परिहास, मनोरंजन, हटाना, क्रीड़ा, कौतूहल |
| आत्मीयता | — अपनापन, मैत्री |
| नाँद | — मिट्टी का एक बड़ा और चौड़ा वर्तन जिसमें पशुओं को चारा-पानी आदि दिया जाता है, हौदी |
| गोई/गुइयाँ | — खेल का साथी, सखी |
| पगहिया/पगहा/पघा | — ढोर (पशु) बाँधने की रस्सी |
| कनखियों/कनखी | — आँख की कोर, तिरछी निगाह से देखना, आँख का इशारा |
| चरनी | — मेंडुदार लंबा चबूतरा जिस पर गाय-बैल को चारा पानी दिया जाता है, गाय-बैल को चारा-पानी देने के लिए गाड़ी हुई नाँद |
| गराँव | — फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है |
| प्रतिवाद | — विरोध, खंडन, वादी की बात के विरोध में कही जाने वाली बात |
| ताकीद | — किसी कार्य के लिए बार-बार चेताने की क्रिया |
| टिटकार/टिटकारना | — 'टिक-टिक' शब्द करके घोड़े, बैल आदि को चलने के लिए प्रेरित करना |
| तेवर | — क्रोधभरी दृष्टि, कोप प्रकट करने वाली तिरछी नजर, भौंह |
| थान | — पशुओं के बाँधे जाने की जगह, बँधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा |
| वरकत | — वृद्धि, बढ़ती, सौभाग्य, लाभ, प्रभाव |
| बेतहाशा | — बहुत तेजी से, बदहवास होकर (भागना), बिना सोचे-विचारे |



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| व्याकुल | — | घबड़ाया हुआ, हतबुद्धि, व्यग्र, अभिभूत, भीत |
| रोगदता/रोगदना | — | भगाना, खदेड़ना, दौड़ाना |
| तजुरबा/तजरबा | — | अनुभव |
| मल्लयुद्ध | — | कुशती, बाहुयुद्ध |
| ग्रास | — | कौर, निवाला, आहार, निगलना, ग्रहण |
| मेंड़ | — | खेत की सीमा, सिंचाई आदि के लिए उसके चारों ओर बनाया हुआ मिट्टी का घेरा |
| खुर | — | नख, चारपाई के पाये का निचला हिस्सा |
| काँजीहौस/काँजीहाउस [‘काइन हाउस’] | — | वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या अनाथ चौपाए (पशु) बंद किए जाते और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं |
| साबिका/साविका | — | वास्ता, सरोकार, काम (पड़ना, होना) |
| तृप्ति | — | भोजन आदि की प्राप्ति से उत्पन्न संतोष या तृप्त होने का भाव |
| दहक | — | आग का दहकना, लपट, ज्वाला |
| उजड़पन | — | अशिष्टता, उद्दंडता, उच्छृंखलता |
| बूते/बूता | — | सामर्थ्य, बल, शक्ति, बस |
| आजमाई/आजमाना | — | परीक्षार्थ प्रयोग करना, परीक्षा, जाँच करना |
| चेत | — | होश, संज्ञा, याद, ज्ञान, चित्त, मन, इच्छा, सावधानी |
| डुगी | — | चमड़े से मढ़ा चौड़े मुँह का छोटा बाजा |
| उन्मत्त | — | मतवाला, सनकी |
| नीलाम | — | बिक्री की एक रीति जिसमें सबसे अधिक दाम बोलने वाले के हाथ माल बेचा जाता है, बोली बोलकर बेचना |
| अख्तियार/इख्तियार | — | पसंद करना या इसका अधिकार, वश, विचाराधिकार, ग्रहण |



पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन् 1894 में खैरागढ़, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्यप्रदेश) में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय हैं।



0901CH02

उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं— पंच-पात्र, पद्म-वन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पत्ते (निबंध संग्रह), अश्रुदल, शतदल (काव्य), झलमला, त्रिवेणी (कहानी संग्रह), विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य (आलोचना)। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया।

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज-सुधार, लोकजीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन् 1971 में उनका निधन हो गया।



‘क्या लिखूँ?’ निबंध में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने ‘दूर के ढोल सुहावने’ और ‘समाज-सुधार’ शीर्षक दो विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली— जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है— इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए, निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं— ‘क्या लिखूँ?’





क्या लिखूँ?

मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग-सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति-सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग-सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टाँगने के लिए कोई भी खूँटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूँटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं।

गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं 'दूर के ढोल सुहावने होते हैं' इस विषय पर लिखूँ। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज-सुधार पर लिखूँ, ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध-रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा।

दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं। पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर पाँच पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार जिस समाज-सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े-बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं पाँच पेज में कैसे लिख दूँ? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंधशास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंधशास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएँ देखीं।

एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूँ कैसे? निबंधशास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं—

सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार-समूह संचित करने होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छे अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि 'दूर के ढोल सुहावने' पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता; पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर दो ही घंटों में दो निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा।

विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे 'दूर के ढोल सुहावने' की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार दस-पाँच शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने-अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? ए.जी. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपीयर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी, जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा 'जैसा तुम चाहो'। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी।

अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे-छोटे हों, पर एक-दूसरे से संबद्ध। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे-छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का



प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम-से-कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जान-बूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं, जो अज्ञों से न सुलझ सकें और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए?

अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मानटेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएँ हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका-लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूँ। पर मुझे तो दो निबंध लिखने होंगे।

मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएँ के पास पहुँचे। वहाँ चार औरतें पानी भर रही थीं। पानी माँगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा—

खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला।
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा।।

मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूँगा।


दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या



समय, किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नव-वधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नव-वधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है।

यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन-संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है; जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीतकाल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत-गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है।

मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ, जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर-नगर और गाँव-गाँव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए-नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए-नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे, वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है।



हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं।

अभ्यास



रचना से संवाद

मेरे उत्तर मेरे तर्क

निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं?

- “हैट टाँगने के लिए कोई भी खूँटी काम दे सकती है... असली वस्तु है हैट, खूँटी नहीं।” निबंध में ‘हैट’ और ‘खूँटी’ का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है?
 - विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना
 - विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्री को प्रमुख बताना
 - शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना
 - उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखन का समर्थन करना
- “उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है... उसका उल्लास रहता है।” मानटेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है?
 - शैली और स्पष्ट-सहज भाषा को महत्व न देना
 - परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना
 - अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना
 - अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना
- “तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल... वृद्धों के लिए अतीत सुखद...” यह तुलना किस पर आधारित है?
 - तर्क और भावना
 - ज्ञान और शिक्षा
 - परिश्रम और उपलब्धि
 - अभिलाषा और अनुभव



4. निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है?
- (क) कविता लेखन की कला को समझाने के लिए
(ख) एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए
(ग) ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए
(घ) सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में
5. निबंध में समाज-सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है?
- (क) सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है।
(ख) सुधार केवल बड़े विचारकों द्वारा संभव हैं।
(ग) सुधार केवल आधुनिक युग की देन हैं।
(घ) सुधारों का कोई अंत नहीं, लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं।

मेरी समझ मेरे विचार

नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए—

1. निबंध लेखन के विषय में ए.जी. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है?
2. लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या-क्या कारण हो सकते हैं?
3. नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं?
4. निबंधशास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन-सी युक्तियाँ सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं?
5. मानटेन ने “जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया।” निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है?

विद्या से संवाद

निबंध लिखने की कला

‘निबंध’ का शाब्दिक अर्थ है— ‘बाँधना’ (नि+बंध), अर्थात् भली-भाँति बाँधा या गठा हुआ। यह गद्य की वह विधा है जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को तार्किक, भावनात्मक, क्रमबद्ध और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करते हैं।

शैली का अर्थ अभिव्यक्ति का ढंग होता है। निबंधकार विभिन्न प्रकार से विषय को प्रस्तुत करता है। इस पाठ में निबंध लेखन की प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। दिए गए आरेख को देखिए और इसके आधार पर एक निबंध लिखिए। अगर आपको निबंध लेखन का कोई और ढंग बेहतर लगता है तो उसे ऐसे ही आरेख से दर्शाइए और बताइए कि आपको वह ढंग क्यों बेहतर लगता है?



भाव-विस्तार

“तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक”

यदि उपर्युक्त वाक्य का भाव-विस्तार किया जाए तो कहा जा सकता है कि— युवा पीढ़ी में किसी समस्या को लेकर आक्रोश की भावना प्रबल होती है। वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए बैठकर बातचीत करने के बजाय उस पर त्वरित निर्णय लेना चाहते हैं जबकि वृद्ध पीढ़ी किसी समस्या के समाधान के लिए अनुभव और परंपरागत ढंग पर विश्वास करती है।

पाठ में से चुनकर कुछ ऐसे और वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का अपने शब्दों में भाव-विस्तार कीजिए—

- “जो तरुण संसार के जीवन-संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है।”
- “मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ, जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो।”
- “आज जो तरुण हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे।”
- “निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है।”



मेरा अनुभव

इस निबंध में लेखक को दो विषयों ('दूर के ढोल सुहावने होते हैं' और 'समाज-सुधार') पर निबंध लिखने थे। पिछली कक्षाओं में आपने भी बहुत से विषयों पर अनुच्छेद, संवाद और निबंध लिखे हैं। आपको किन विषयों पर लिखना सरल या कठिन लगा और क्यों?

विषयों से संवाद

1. निबंध में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक आदि कई महान व्यक्तियों के नाम आए हैं। इनके विषय में जानकारी एकत्रित करके संक्षेप में बताइए कि इन्होंने अपने समय में समाज के लिए क्या-क्या कार्य किए।
2. निबंध में उल्लिखित महान व्यक्तियों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों से समाज को एक नई दिशा दिखाई। हमारे आस-पास और भी ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ हैं जो स्त्री-शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता समूह (दिव्यांगजन) आदि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं के विषय में पता लगाइए और लिखिए।
3. आपको 'समाज-सुधार' करने का अवसर मिले तो आप क्या-क्या सुधार करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे? लिखिए।
4. भारतीय ज्ञान साहित्य में अनेक स्थानों पर नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में संतुलन की बात की गई है। इस विषय पर अपने शिक्षक के साथ मिलकर चर्चा कीजिए।

सृजन

1. 'दूर के ढोल सुहावने होते हैं' एक लोकोक्ति है। लोक में प्रचलित लोकप्रिय वाक्य या वाक्यांश को लोकोक्ति कहते हैं, जो किसी विशेष अर्थ या सीख को व्यक्त करता है। लोकोक्ति भाषा को समृद्ध करती है तथा विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सहायता करती है। यह लोगों के अनुभव, विश्वास और मूल्यों को दर्शाती है।

आपने यह लोकोक्ति भी सुनी होगी— 'आम के आम गुठलियों के दाम'। अब आप इस लोकोक्ति और 'जैविक खाद की निर्मिति में हमारा प्रयास' विषय को मिलाकर एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए।

2. "जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय, किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं।"

आपने पढ़ा कि ढोल के पास बैठे व्यक्ति की अपेक्षा दूर बैठे व्यक्ति के लिए ढोल की आवाज़ का अनुभव भिन्न है। अपने अनुभव के आधार पर किसी ऐसी घटना का उल्लेख अपनी

ढायरी में कीजिए, जब किसी व्यक्ति या संस्था के विषय में दूर से आपका अनुमान कुछ और रहा हो, पर निकट से आपका अनुभव बिल्कुल अलग रहा हो।

भाषा से संवाद

व्याकरण की बात

समास

'मुझे उन दोनों को निबंध-रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा'

उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह दो पदों 'निबंध' और 'रचना' के मेल से बना है जिसका अर्थ है— निबंध की रचना।

समास

समास का अर्थ है संक्षेप। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, जैसे— गंगा+जल = गंगाजल, देश+भक्ति = देशभक्ति। इस प्रकार समास वह शब्द रचना है, जिसमें दो (या दो से अधिक), अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले, स्वतंत्र शब्द रचना के अंग होते हैं।

समास रचना में प्रायः दो पद (शब्द) होते हैं। पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तरपद कहते हैं। जैसे— गंगाजल में 'गंगा' पूर्वपद और 'जल' उत्तरपद है। इसी तरह देशभक्ति शब्द में 'देश' को पूर्वपद और 'भक्ति' को उत्तरपद कहेंगे। समास रचना से बने शब्द को 'समस्त पद' कहते हैं; जैसे— गंगाजल, देशभक्ति।

यदि समास रचना से बने शब्द (समस्त पद) के अंग अलग-अलग करने हों, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यदि 'गंगाजल' समस्त पद के अंग अलग-अलग (समास विग्रह) करें, तो दो पद निकलेंगे— गंगा और जल। समास विग्रह इस प्रकार लिखते हैं— गंगाजल = गंगा+जल (गंगा का जल)।

समास के छह प्रमुख भेद हैं—

| | | |
|----|---------------|---|
| 1. | तत्पुरुष समास | इस समास में उत्तरपद प्रधान होता है और पूर्वपद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों (का, से, पर आदि) का लोप हो जाता है। जैसे— रसोईघर → रसोई + घर = रसोई के लिए घर |
|----|---------------|---|



| | | |
|----|----------------|--|
| 2. | कर्मधारय समास | कर्मधारय समास में पूर्वपद विशेषण तथा उत्तरपद विशेष्य होता है अथवा पूर्वपद और उत्तरपद में उपमेय-उपमान का संबंध होता है। जैसे- नीलकमल → नील + कमल = नीले रंग का कमल |
| 3. | द्विगु समास | जिन समासों का पूर्वपद संख्यावाची शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। जैसे- तिरंगा = तीन रंगों का समाहार |
| 4. | बहुव्रीहि समास | बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही 'प्रधान' होता है। जैसे- पीतांबर → पीत + अंबर = पीला है अंबर (वस्त्र) जिसका अर्थात् कृष्ण/विष्णु |
| 5. | द्वंद्व समास | इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय का लोप हो जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे- भाई-बहन = भाई और बहन |
| 6. | अव्ययीभाव समास | इस समास में पूर्वपद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय (क्रिया-विशेषण) का काम करता है। जैसे- यथाशक्ति → यथा + शक्ति = शक्ति के अनुसार पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे- धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी, दिनोंदिन। |

निबंध में ऐसे अनेक सामासिक शब्द आए हैं। उन शब्दों को ढूँढ़कर उनका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। आपकी समझ के लिए एक उदाहरण तालिका में दिया गया है। पाठ से अन्य उदाहरण चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।

| सामासिक पद | समास विग्रह | समास का नाम |
|--------------|------------------|---------------|
| निबंधशास्त्र | निबंध का शास्त्र | तत्पुरुष समास |

उपसर्ग एवं प्रत्यय

- “सेनापति ने भी अपनी कठिना दुखों कर दी है।”
- “समाज-सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है।”

दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। दोनों रेखांकित शब्दों में मूल शब्द 'बोध' के पहले 'दुः' उपसर्ग और 'आदि' के पहले 'अन्' उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं।

अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए—

- “आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं।”
- “लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है।”

रेखांकित शब्दों में मूल शब्द 'सुधार' के बाद में 'क' प्रत्यय और 'कठिन' शब्द के बाद में 'आई' प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। प्रत्यय भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता और जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं।

- निबंध से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूँढ़कर अपनी लेखन-पुस्तिका में लिखिए।
- नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर पूरा कीजिए—
 - निबंध लिखना बड़ी _____ (कठिन) की बात है।
 - वर्तमान से दोनों को _____ (संतोष) होता है।
 - वाक्यों में कुछ _____ (स्पष्ट) भी चाहिए, क्योंकि यह _____ (स्पष्ट) या _____ (बोध) गांभीर्य ला देती है।
- नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाकर लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

मधुर सुधार सुंदर गति समाज

उदाहरण— मधुर → मधुरता, मधुरमय, सुमधुर

भाव एक शब्द अनेक

इस पाठ में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ परस्पर मिलते-जुलते हैं। उदाहरण के लिए, विचार-मनन-चिंतन या सुहावने-मधुर-मनमोहक। पाठ में से ऐसे शब्द ढूँढ़िए तथा वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए।





अतिविधियाँ

1. "खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला।
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा।।"

पाठ में अमीर खुसरो की यह प्रसिद्ध अनमेली आई है। अनमेली एक प्रकार की हास्य-व्यंग्यपूर्ण काव्य शैली है जिसमें असंगत वाक्यों एवं विपरीत स्थितियों को जोड़कर मनोरंजन किया जाता है। अमीर खुसरो आम लोगों के मन को बहलाने व हँसाने के उद्देश्य से ऐसे प्रयोग करते थे। आप उनके द्वारा रचित अन्य अनमेलियों, मुकारियों व पहेलियों का शिक्षक की सहायता से ढूँढ़कर संकलन कीजिए।

2. कक्षा में 'युवा और वृद्ध—दो पीढ़ियों के पीढ़ीगत अंतर' पर वाद-विवाद का आयोजन कीजिए। वाद-विवाद के नियमों के लिए आप कक्षा 7 और 8 की पाठ्यपुस्तक *मल्हार* के कुछ पाठों का अभ्यास देखकर अपनी प्रतियोगिता के नियम निर्धारित कर सकते हैं।

भाषा संगम

"निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए।"

नीचे 'निबंध' शब्द के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है।

निबंध (हिंदी); निबंध: (संस्कृत); निबंध (पंजाबी); मजमून (उर्दू); मजमून (कश्मीरी); मज्मून, निबंधु (सिन्धी); निबंध (मराठी); निबंध (गुजराती); निबंध (कोंकणी); निबंध (नेपाली); निबंध, प्रबंध (बांग्ला); निबंध-रचना (असमिया); निबंध, वाङ् (मणिपुरी); प्रबंध, रचना (ओड़िआ); व्यासमु (तेलुगु); कट्टुरै (तमिल); उपन्यासम् (मलयालम); लेख, प्रबंध (कन्नड़)।

- इनके अतिरिक्त यदि आप 'निबंध' शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए।
- उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए।

<https://shabd.education.gov.in/lexicon.jsp>



खरोखो से

पाठ में आदर्श निबंध लेखन के विषय में विद्यमान से बनता गया है। अब आप सचिचदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का लेख 'मैं क्यों लिखता हूँ?' पढ़िए—

मैं क्यों लिखता हूँ?

मैं क्यों लिखता हूँ? यह प्रश्न बड़ा सगल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि हमका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन स्तरों से जो कुछ वाक्यों में बाँध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने सभ्य भी है या नहीं? उनका भी क्या जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्ग किया जाए— विरोध रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है।

एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ— लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विचाराता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विचाराता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार— क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है— इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विचाराता से भी लिखा जाता है— संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से वह भेद बनाए रखता है कि कौन-सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन-सा लेखन बाहरी दबाव का, दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है।

— सचिचदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'



स्वोपजीन

पाठ में आए साहित्यकारों बाणभट्ट, श्रीहर्ष, अमीर खुसरो, सेनापति, महात्मा गांधी, ए.जी. गार्डिनर, शेक्सपीयर, मानटेन के विषय में पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूँढ़कर पढ़िए।



शब्द-संपदा

| | |
|-------------------|---|
| स्फूर्ति | — फुरती, उत्तेजना, कंपन, उछलना, मन में प्रकट होना |
| आवेग | — बिना सोचे-विचारे कुछ कर बैठने की अंतःप्रेरणा, झोंक, अशांति, उतावली, एक संचारी भाव |
| यथार्थता/यथार्थ | — सत्य, प्रकृत, उचित |
| उत्थित | — उठा हुआ, उठता हुआ, बल-वैभव में बढ़ा हुआ, उत्पन्न, ऊँचा, फैलाया हुआ |
| रहस्य | — गुप्तभेद, गोपनीय विषय, मर्म |
| विज्ञो/विज्ञ | — जानकार, समझदार, विद्वान |
| सम्मति | — सहमति, स्वीकृति, अनुमति, राय, मत, आदर, सम्मान |
| अनुसंधान | — अन्वेषण, खोज, जाँच-पड़ताल, प्रयत्न, योजना, आयोजन |
| विश्वकोश | — वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण हो, वह भंडार जिसमें विश्व की सारी वस्तुएँ संगृहीत हों |
| दुर्बोधता/दुर्बोध | — जो शीघ्र समझ में न आए, गूढ़ |
| गंभीर्य | — गंभीरता, गहराई, चित्त की स्थिरता, जटिलता |
| गुत्थी | — उलझन, कठिनाई, तागे आदि में उलझने से पड़ी हुई गाँठ |
| अज्ञो/अज्ञ | — ज्ञानरहित, नासमझ, अचेतन |
| पद्धति | — प्रथा, परिपाटी, मार्ग, पथ, रास्ता, प्रणाली |
| पाश्चात्य | — पश्चिम का, बाद का, पच्छिमी, पिछला हिस्सा |
| आख्यायिका | — सिलसिलेवार कहानी या वृत्तांत, शिक्षा देने वाली कल्पित कथा |
| उदात्त | — ऊँचा, महान, श्रेष्ठ, उदार, प्रसिद्ध, प्रिय, ऊँचे स्वर में उच्चरित |
| अभिव्यक्ति | — व्यक्त, प्रकट होना, प्रकाशन |
| अनुसरण | — पीछे चलना, अनुकरण, अभ्यास, अनुकूल आचरण |
| समावेश | — साथ रहना, शामिल होना, मिलना, एकत्र होना, प्रवेश |
| संध्या | — शाम का वह समय जब दिन के दो भागों का मेल होता है, साँझ, योग, मेल, ठहराव, सीमा |
| अंकित | — लिखित, चिह्नित, चित्रित, गिना हुआ |
| कोलाहल | — बहुत से लोगों के एक साथ बोलने से होने वाला शोर, हंगामा, हल्ला |
| विषाद | — अवसाद, उदासी, तंद्रा |
| कलरव | — मधुर ध्वनि, कोमल |

3



0901CH03



शेखर जोशी

शेखर जोशी का जन्म सन् 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह *कोसी का घटवार* सन् 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं— *साथ के लोग*, *दाज्यू*, *हलवाहा*, *नौरंगी बीमार है*, *आदमी का डर*, *डांगरी वाले*, *मेरा पहाड़* (कहानी संग्रह), *एक पेड़ की याद* (शब्दचित्र-संग्रह), *स्मृति में रहें वे* (संस्मरण), *न रोको उन्हें शुभ्रा* (कविता संग्रह), *मेरा ओलिया गाँव* (आत्मवृत्त)। उनकी कहानियों का संग्रह *शेखर जोशी कथा समग्र* शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण-शहरी मध्यवर्गीय समाज के जीवन-मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन-संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है।

उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 'महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार' तथा 'साहित्य भूषण सम्मान', मध्य प्रदेश शासन द्वारा 'अखिल भारतीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान' तथा 'श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। सन् 2022 में उनका निधन हो गया।



'संवादहीन' कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र ताई और मिट्टू हैं। मिट्टू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोक-झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु-पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन-यथार्थ की विसंगतियों, जैसे— पलायन, अकेलेपन और आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद को अभिव्यक्त करती है।





संवादहीन

गहरी साँस लेकर ताई कहती, “भगवान! कैसे नैया पार लगेगी?” और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल-कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, “राम-राम कहो, सीताराम कहो।”


ताई दुहराती— सीताराम! सीताराम!

ताई और मिट्ठू
मिट्ठू और ताई

अब ये ही दो प्राणी गाँव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक-दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत-परिवार, बहू-बेटियाँ, नौकर-चाकर, गाय-ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में! देखते ही देखते क्या से क्या हो गया! बहू-बेटे गाँव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियाँ अपने-अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गईं, किसके भरोसे कारबार संभलता। धीरे-धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती-बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर-चाकर किस दम पर टिकते! अपनी अकेली जान के लिए ताई दो जून का एक जून चूल्हा फूँक लेती, व्रत-उपवास के बहाने चौका-चूल्हा टाल जाती, पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाँय-भाँय जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी।

भला हो गनपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था, वह न जाने कहाँ से एक प्यारा-सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात-दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगीं। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थीं, वही अब नियमपूर्वक मिट्ठू के लिए दाल-भात बनातीं। मिट्ठू के वक्त-बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखतीं। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं।

कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हू-ब-हू दुहरा देता बल्कि एक-दो बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बे-मौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे-धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था, अड़ोस-पड़ोस की बहू-बेटियाँ बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटतीं और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियाँ चहचहातीं



तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते—

हर हर गंगे!

हर हर गंगे!!

सीताराम बोल!

सीताराम बोल!!

मिट्ठू राम राम!

मिट्ठू राम राम!!

ताई अचकचाकर उठ बैठतीं। लाड़ से मिट्ठू को निहारकर आशीष देतीं— “जीते रहो बेटा, जुग-जुग जिओ” और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते—

खुश रहो!

खुश रहो!!

ताई निहाल हो जातीं। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम-काज से थककर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगतीं तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठतीं, “मिट्ठू! अब कैसे कटेगी?” और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दम-खम के साथ उन्हें दिलासा देते—

कटेगी! कटेगी!! कटेगी!!!

ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते, और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम-कहानी सुनाने लगतीं। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। काल की अतल गहराइयों से झाँकता एक-एक चेहरा ताई को नए-नए प्रसंगों की याद दिला देता— जमींदार



साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल-तमाशे, वे ब्याह-शादियाँ, तीज-त्योहार, जन्म और मृत्यु-पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुणग्राहकता, उनकी तुनकमिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग... ताई घंटों तक मिट्टू को अपनी जीवन-गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच-बीच में कुछ टीका-टिप्पणी कर देता।

ऐसा नहीं कि ताई और मिट्टू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो, कभी-कभी ताई थकी-माँदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्टू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते। पानी और दाने की कटोरियों को जान-बूझकर उलटा देते, तो खीझकर ताई कोसती, "मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा!" और मिट्टू भी उतनी ही खीझ के साथ हमला बोल देते, "मर जा! मर जा! मर जा!" फिर मान-मनौवल का दौर चलता और ताई और मिट्टू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती।

ताई को घड़ी-भर के लिए भी मिट्टू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी-कभार गाँव में थोड़ी देर के लिए भी न्यौते-बुलावे में जातीं, तो दस बार खिड़की-दरवाजों की साँकलें टोहकर देखतीं, कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छिपाकर रखतीं और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पाँव बाहर निकालतीं। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म-संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊँच-नीच देख लिए थे, अब कभी-कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गाँव के कई लोग कुंभ-स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे, अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ-स्नान का लोभ जहाँ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्टू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हँसी-हँसी में किसी ने सलाह दी, "ताई, मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा-स्नान करा देना।" किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता-बतियाता प्राणी है। ताई पशोपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्टू की खातिर खर्च कर देती लेकिन मेले-ठेले, भीड़-भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था, अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आँसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार-बार वह मिट्टू को पुचकारतीं, जल्दी लौट आने का दिलासा देतीं। मिट्टू भी उनकी बातों के उत्तर में 'हर हर गंगे', 'राम राम सीताराम' कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे।

ताई तो कुंभ-स्नान के लिए चल दीं। लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया।



अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम-सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे। दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्टू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब-जब मिट्टू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते।

जगन मास्टर के लिए जब मिट्टू की यातना असह्य हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंदकर मिट्टू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही, खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित्त कर लें। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्टू धीरे-धीरे दाना चुगते हुए



बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया।

अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते। मिट्टू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम तीन-चार दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्टू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आँख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुँच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक 'गीता-रहस्य' से हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्टू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर 'आ-आ' की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्टू ने फिर तिरछी आँख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए! वो गए!! अकेले मिट्टू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से सँभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास, 'मिट्टू आ! मिट्टू आ!!' पुकारते हुए पसीना-पसीना होते रहे और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे।

ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गाँव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली-भाँति लगा सकते थे। बहुत सोच-विचार के बाद आखिर गनपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरत-शकल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया।

अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने तक वह भी दो अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के दो-चार श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा-स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुँह से गीता सुन सकें, लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना-पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते—

मिट्टू, राम राम
सीताराम सीताराम
हर गंगे, हर गंगे

राम राम, सीताराम
बोलते-बोलते उनका गला सूख जाता, मास्टराइन धीमे-धीमे की शिकायत करती,
तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दुहराते—

राम राम
सीताराम, हर गंगे...
फिर खीझकर कहते— मर जा! मर जा!!

पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर-टुकुर उन्हें देखता रहता या जायद उनकी बेवकूफी पर हँसता रहता हो।

कुंभ-स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने-अपने घरों की ओर चल दिए लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुँची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू 'राम राम सीताराम' की रट लगाकर आसमान मिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद-फाँद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वहाँ बैठे एवजी मिट्टू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर-उधर ताकता रहा।

ताई अपने मिट्टू को गुहार कर थक गई लेकिन उनके सुनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा।



अभ्यास

रचना से संवाद

मेरे उत्तर मेरे तक

निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं?

- कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध किस भाव को दर्शाता है?
 - परोपकार और त्याग
 - ममता और स्नेह
 - करुणा और क्रोध
 - जिज्ञासा और सहायता
- जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है?
 - अनुशासन और परंपरा
 - उदासीनता और असावधानी
 - आत्मगौरव और विद्रोह
 - करुणा और नैतिकता
- मिट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है?
 - भोजन की खोज
 - प्रेम की आकांक्षा
 - स्वतंत्रता की चाह
 - पक्षियों में सम्मान की प्रवृत्ति
- ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था?
 - सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना
 - परिवार से दूरी और संवाद का अभाव
 - आर्थिक विपन्नता और निर्धनता
 - मिट्टू के प्रति प्रेम और संवाद

- कहानी में मानव-समाज में व्याप्त किस विमर्श को उजागर किया गया है?
 - मजबूरी
 - कर्मपरायणता
 - अकेलापन
 - संवादधर्मिता

मेरी समझ मेरे विचार

नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए—

- “भगवान! कैसे नैया पार लगेगी?” ताई इस वाक्य में किस ‘नैया’ की बात कर रही है? वे यह बात क्यों कह रही हैं?
- “धीरे-धीरे सब पराए हाथ में चला गया।” इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है?
- “ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी।” क्यों?
- “अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं।” इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या-क्या पता चलता है?
- “जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे।” जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
- कहानी का शीर्षक ‘संवादहीन’ किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है— ताई, जगन मास्टर, मिट्टू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
- “अब ये ही दो प्राणी गाँव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक-दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे।” ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा?

मेरे प्रश्न

नीचे कुछ उत्तर और उनके दो-दो प्रश्न दिए गए हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन-सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है?

- उत्तर : ताई के अकेलेपन को मिट्टू ने सहारा दिया।
प्रश्न क : ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था?
प्रश्न ख : ताई को मिट्टू किसने भेंट में दिया था?



2. उत्तर : ताई के लौटने से पहले मिट्टू उड़ गया था।
प्रश्न क : ताई के लौटने के बाद मिट्टू कहाँ चला गया था?
प्रश्न ख : ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई?
3. उत्तर : गाँववालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा।
प्रश्न क : गाँववाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे?
प्रश्न ख : गाँववाले मिट्टू के उड़ने से खुश क्यों थे?
4. उत्तर : कहानी का शीर्षक 'संवादहीन' जीवन के मौन का प्रतीक है।
प्रश्न क : कहानी का शीर्षक 'संवादहीन' क्यों उपयुक्त नहीं है?
प्रश्न ख : शीर्षक 'संवादहीन' का क्या भावार्थ है?

मेरे अनुभव मेरे विचार

नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दीजिए—

1. "कभी-कभार गाँव में थोड़ी देर के लिए भी न्यौते-बुलावे में जातीं, तो दस बार खिड़की-दरवाजों की साँकलें टोहकर देखतीं..." ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है?
2. "आखिर वह भी तो बोलता-बतियाता प्राणी है।" क्या आप मानते हैं कि पशु-पक्षियों में भी संवेदनाएँ होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए।
3. "गनपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरत-शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके..." ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए।
4. "ताई सोच रही थीं कि उन्हें देखते ही मिट्टू 'राम राम सीताराम' की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा।" क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए।
5. "मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की।" क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आस-पास से उदाहरण भी दीजिए।



विधा से संवाद

कहानी का सौंदर्य

संवादहीन कहानी में अनेक विशेष बिंदु हैं जो इसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। नीचे कहानी के कुछ विशेष बिंदु और उनके उदाहरण दिए गए हैं। आप भी कहानी से इसी प्रकार के एक-एक उदाहरण खोजकर लिखिए—



| विशेष बिंदु | अर्थ | उदाहरण |
|----------------------------|--|---|
| चित्रात्मकता (दृश्य बिंदु) | शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियाँ बनाना। | मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मग्न रहते। |
| संवादात्मकता | कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। | "राम-राम कहो, सीताराम कहो।" |
| पुनरुक्ति | शब्दों की बार-बार पुनरावृत्ति से भाव की तीव्रता। | "कटेगी! कटेगी!! कटेगी!!!" |
| अतिशयोक्ति | किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। | रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता-बतियाता प्राणी है। |
| लोकधर्मी भाषा | ग्रामीण, सहज, बोल-चाल की भाषा। | भगवान! कैसे नैया पार लगेगी? |
| प्रश्नोत्तर शैली | पात्रों या लेखक द्वारा प्रश्न पूछना। | मिट्टू! अब कैसे कटेगी? |

कहानी का अंत

किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार से हो सकता है जैसे—

1. सुखांत – जब कहानी का अंत प्रसन्नता, सफलता से होता है।
2. दुखांत – जब कथा का अंत दुख, वियोग, मृत्यु या हानि से होता है।
3. मुक्त अंत – जब कहानी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होती, बल्कि सोचने के लिए छोड़ दी जाती है।
4. अप्रत्याशित अंत – जब अंत अचानक और अप्रत्याशित रूप से सामने आता है।
5. यथार्थवादी अंत – जब कहानी का अंत जीवन की सच्चाई जैसा लगे।
6. प्रेरणात्मक अंत – जब कहानी के अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच दी जाए।
7. व्यंग्यात्मक अंत – जब कहानी का अंत व्यंग्य या कटाक्ष से किसी सत्य को प्रकट करता है।

आपके अनुसार 'संवादहीन' कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार करना चाहेंगे?



मेरी पहेली

अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियाँ या प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों—

तोता, ताई, कुंभ, पिंजरा, कमरा, गंगा

भाषा संगम

“वह न जाने कहाँ से एक प्यारा-सा पहाड़ी तोता ले आया था।”

नीचे 'तोता' शब्द के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है।

तोता (हिंदी); शुक्रः (संस्कृत); तोता (पंजाबी); तोता (उर्दू); तोतुं (कश्मीरी); तोतो (सिंधी); पोपट (मराठी); पोपट, सूडो (गुजराती); पोपट (कोंकणी); सुगा (नेपाली); तोता (बांग्ला); भाटौ (असमिया); तेनवा (मणिपुरी); शुआ (शुक); (ओड़िआ); चिलुक (तेलुगु); किळि (तमिल); शुक्म्, तत्त (मलयालम); गिळि (कन्नड़)।

- इनके अतिरिक्त यदि आप 'तोता' शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए।
- उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए।

<https://shabd.education.gov.in/lexicon.jsp>

स्वोपजीवन

शेखर जोशी

<https://www.youtube.com/watch?v=Q0fTM4VIPGs>

<https://www.youtube.com/watch?v=ILKQA85Dam0>

तोता

<https://www.youtube.com/watch?v=eSV2dzX5gyU>

तोते को गीत सिखाना

<https://www.youtube.com/watch?v=Ivmwy5JeNe4>

तोते की कहानी

<https://www.youtube.com/watch?v=4UBNp3elJjY>



शब्द-शेखर

| | |
|-------------|---|
| दोर | — पालतू गोब्रातीय पशुओं के लिए प्रयुक्त शब्द, चौपाया, डोर |
| तक्काजा | — आवश्यकता, इच्छा, अनुमोद, कोई काम करने के लिए किसी में बार-बार कहना, मोगना |
| कुशाग्र | — तीव्र, कुश की नोक जैसा तीक्ष्ण |
| पौ फटना | — प्रातःकाल का प्रकार, तड़का होना |
| अचकचाना | — भौचकका होना, चौक उठना |
| निहाल | — प्रसन्न, हर तरह से नृत्य |
| सत्ता | — अस्तित्व, यथार्थता, अधिकार, प्रभुत्व, प्रभुसत्ता |
| अतल | — अथाह, तलहीन |
| प्रसंग | — प्रकरण, संबंध, विषय का तारतम्य, एक प्रकार की संगति, लगाव |
| रोबीला | — प्रभावशाली |
| तुनकमिजाज | — जो झटपट या छोटी-छोटी बातों पर नागज हो जाए, नाजुक मिजाज, चिड़चिड़ा |
| वियोग | — विच्छेद, विरह, अभाव, छुटकारा |
| साँकल | — जंजीर, सिकड़ी, शृंखला |
| टोह | — खोज, अनुसंधान, पता, देखभाल |
| देहरी/देहली | — दरवाजे की चौखट में नीचे वाली लकड़ी जिसे लाँचकर घर में घुसते-निकलते हैं, देहली पर रखा हुआ दीया |
| मिजाज | — स्वभाव, तबीयत, प्रकृति, आदत, गर्व, घमंड |
| प्रायश्चित | — शोधन, वह शास्त्र-विहित कर्म जो पाप का मार्जन करने के लिए किया जाए |
| कौतूहलवश | — उत्सुकता, अचंभा, कुतूहल, त्योहार, उत्सव |
| मशगूल | — कार्यरत, किसी काम या शगल में लगा हुआ |
| अर्जन | — कमाना, संग्रह करना |
| एवजी | — बदले में काम करने वाला, स्थानापन्न |
| आग्नेय | — अग्नि से उत्पन्न, अग्नि जैसा, अग्नि-संबंधी, अग्नि को अर्पित |
| जून | — वक्त, बेला, दिन का अर्द्ध भाग, ईसवी सन् का छठा महीना |





0901CH04



यतींद्र मिश्र

यतींद्र मिश्र का जन्म सन् 1977 में अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी में एम.ए. किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ-साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है।

यतींद्र मिश्र के तीन काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए हैं— *यदा-कदा*, *अयोध्या* तथा *अन्य कविताएँ*। *ड्योढ़ी पर आलापा* इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक *गिरिजा* लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि 'द्विजदेव' की ग्रंथावली (2000) का सह-संपादन किया। कुँवर नारायण पर केंद्रित दो पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत-2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित *थाती* का संपादन भी किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्द्धवार्षिक पत्रिका *सहित* का संपादन कर रहे हैं।



ऐसी भी बातें होती हैं

(लता मंगेशकर से साक्षात्कार)

यतींद्र मिश्र : दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करने हैं...

इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूँ, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं।

आप अगर तैयार हों, तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म-संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा...

लता मंगेशकर : जी, जरूर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कांशिस कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, उसे आपको बता सकूँ। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ...

यतींद्र मिश्र : आपके पिताजी पं. दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन-सी स्मृतियाँ हैं, जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं? जिनको याद करना आपको सुख से भरता है?

लता मंगेशकर : कई बातें हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, न ही किसी बात पर डाँट पड़ती थी; मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किसलिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, 'समझ गए न?' इस पर हम लोग कहते थे, 'हाँ, हम लोग समझ गए।' इसके बाद वे कहते थे कि 'अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो।' इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई-बहनों को डरा देता था।

मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात नौ बजे शुरू होते थे और देर रात दो से तीन बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि

'मेरी आवाज़ ही पहचान है!' अपनी आवाज़ से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने-कोने में अपनी पहचान बनाने वाली 'भारत रत्न' लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम हैं जिनके विषय में यदि बात न हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाएगी। इंदौर, मध्यप्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने मात्र पाँच वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवनपर्यंत संगीत के प्रति समर्पित रही।

जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव व संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए पढ़ते हैं उनके साथ साक्षात्कार में...





एक नाटक के पाँच अंक होते थे। फिर उसमें लंबी-लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे, तो खूब सीटियाँ, तालियाँ और 'बन्स मोरे' मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज़ में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को 'सा' (षडज) बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके

सुर में वापस लौट आते थे।

उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला।

मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रेकॉर्ड एच.एम.वी. से रिलीज हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रेकॉर्ड उन्होंने राग जयजयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा।

यतींद्र मिश्र : पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या-क्या और सीखा?

लता मंगेशकर : सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे पाँच सौ रुपये दीजिए, फ्लाँ चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई, उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है, तो उसे करो और किसी के



आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ, तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी, तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है... और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं, वह भले ही इतना छोटा-सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था, उस पर हम सभी भाई-बहनों ने चलने का प्रयास किया।

यतींद्र मिश्र : बचपन में आप सभी भाई-बहन फिल्मों देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी?

लता मंगेशकर : (हँसते हुए) अरे! यह तो हम सब भाई-बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थीं, जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थीं जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ-कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी 'संत तुकाराम'। फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं— 'अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम-राम ध्यावा' (मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम-राम ले लीजिए)। हम कमरे में चर भर के गद्दे, तकिये एक के ऊपर एक रखकर ऊँचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंढरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे— 'हमें भी साथ ले लीजिए। हमें भी साथ ले चलिए।' (खिलखिलाकर हँसती हैं) उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थीं क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी-चोरी तब होता था, जब पिताजी घर के बाहर हों और यह जान न पाएँ कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है।

यतींद्र मिश्र : अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता, तो वह कौन-सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करतीं?



लता मंगेशकर : नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल छह या सात फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय, जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना और काफी लोग खड़े हैं, तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हँस रहे हैं। गा भी रहे हैं। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी 'छत्रपति शिवाजी'। उसमें भालजी पेंढारकर थे जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालाँकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा—'बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है, उसमें दो लाइनें मैं भी आकर गाऊँ।' तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी, दोनों ही संस्करणों में बाद की दो पंक्तियाँ गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है।

यतींद्र मिश्र : उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थीं? क्या वे आपके हिसाब से धीरे-धीरे अनुकूल होती गईं अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का संबन्ध बनी रहीं, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थीं?

लता मंगेशकर : यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रेकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रेकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी।

हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर वह रेकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय। किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रेकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रेकॉर्ड होने हैं। फलाँ फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रेकॉर्ड करने हैं।




यतींद्र मिश्र : बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो?

लता मंगेशकर : ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे, तो उनको जितने मेडल मिले थे, वे अपने कपड़ों पर सौने के चाई तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था, जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है, वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे, तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे, जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊँगी।

यतींद्र मिश्र : अगर हम समय के चक्र (टाइम मशीन) को घुमाकर सन् 1949-50 में ले जाएँ, तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर-जयकिशन, हुस्नलाल-भगताराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए, 'आएगा आने वाला' (महल), 'हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का' (बरसात) और 'चले जाना नहीं नैन मिला के' (वड़ी वहन) जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है, जो कहीं आपके कद को बढ़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में ए.आर. रहमान आए होते, जतिन-ललित आए होते, शंकर-एहसान-लॉय होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय 'आएगा आने वाला' की आमद कैसी होती?

लता मंगेशकर : (हँसते हुए) बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका। कहना मुश्किल है इस पर क्या बोलूँ? समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता, तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि 'आएगा आने वाला' को ए.आर. रहमान ने बनाया होता या 'हवा में उड़ता जाए' को जतिन-ललित ने, तो कैसा प्रभाव पैदा होता... मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन-ललित के लिए मैंने 'मेरे ख्वाबों में जो आए' (दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे) गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता, तो आपके लिहाज से वह किस तरह





बनता? यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर-फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता? इतना जरूर मैं कहना चाहूँगी कि पुराने समयों में, जब मैंने 'महल', 'बड़ी बहन', 'बरसात', 'तराना', 'बाजार' और 'संगदिल' जैसी फिल्मों के लिए पार्श्वगायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। 'आएगा आने वाला'

में मुझे हॉल में बहुत दूर से चलकर दबे पाँव रेकॉर्डिंग वाले माईक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रेकॉर्डिंग के माईक पर स्वर का उतार-चढ़ाव कैद किया जाता था।

बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलिल चौधरी और सी. रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। आज, जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता, तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते, आप सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह, जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं—रहमान, जतिन-ललित और तमाम अन्य लोग—अगर पीछे जाकर काम करते, तो कितनी मुश्किलें आतीं और कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह काम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रेकॉर्ड करती, तो कैसा होता? **यतींद्र मिश्र** : इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। विशेषकर अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा

कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्त न हो सके। आपकी संकेत रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियाँ, गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी? होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहें।

लता मंगेशकर : हम होली खेलते थे। यह बहुत पहले की बात है, जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है, उसे उठाकर दूसरे दिन एक-दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग 'गुड़वड़' कहते हैं। होली के बाद पाँचवें दिन रंग-पंचमी आती है, उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई-बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थीं, जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग-अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थीं और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनाता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था।

हमारे यहाँ दशहरा और दीवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनाती है। नवरात्रि के पहले दिन हम 'गुड़ि पड़वा' मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर में बाहर 'गुड़ि' बाँधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। सूर्योदय के समय ही 'गुड़ि' पर बताशों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम चौदह वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर 'गुड़ि' बाँधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है। पहले दिन 'गुड़ि' बाँधने के बाद नौ दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है।



...तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनाता, जिस तरह गुजरात उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है।

चर्तोंद्र मिश्र : त्योहारों की ऐसी कोई खास बात, जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा।

लता मंगेशकर : ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती। अलबत्ता इतना जरूर कहूँ कि पचास का दशक रहा होगा, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई-नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दीवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दीवाली के दिन तड़के पाँच बजे ही नहा-धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुँच जाती थी।

एक बार बड़ा मजेदार वाक्या हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब साढ़े पाँच बजे पहुँच गई और जब कॉलबेल बजाया, तो उनींदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए वे डरकर पूछने लगे— “लता बाई सब खैरियत तो है, इतने सबेरे क्या मुसीबत आप पड़ी?” मैंने उन्हें हँसकर कहा, “कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दीवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुँचाने चली आई।” इस पर वे बोले, “अरे इतनी सुबह क्यों पेशान हुई?” तब मैंने उनको हँसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब आपके अलावा मुझे अभी दो-तीन जगह— अनिल विश्वास जी, रोशनलाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड़ से भरकर बोले— “हाँ! मैं बिल्कुल भूल गया! लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुँह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, “लता, तुम हम सबको मिठाई बाँट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है।” नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दीवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूँ।

यर्तींद्र मिश्र : त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर-घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियाँ ही गाती हैं, गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन-से अवसर आए हैं?

लता मंगेशकर : (हँसते हुए) हमारे यहाँ होली और दीवाली पर तो इस तरह पर्वों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई नई घर में आती है, तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पाप-पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। वह मंगलागीर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं। बिल्कुल ठेठ गैबई अंदाज में यह मंगलागीर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिम्ना-आहिम्ना वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है; जब मैं बहुत छोटी थी, तब घर-परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगलागीर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते-गाते थे। उनमें स्त्रियाँ नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ-कुछ करती थीं। मतलब कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था।

यर्तींद्र मिश्र : दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायिकी में कोई सहायंग करती थीं या उनका एक अलग ही विभाग होता था, जो मुख्य पार्श्वगायक-गायिकाओं से अलग रहता था?

लता मंगेशकर : उस वक़्त एक ऐसा ग्रुप था, जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ। शंकर-जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल— ये जितने भी लोग थे; सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियाँ थीं, जो कोरस में गाने जाती थीं। इसलिए सबसे मेल-मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियाँ थीं, वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थीं। सबका ही घर में आना-जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई, तो कोरस की सारी लड़कियाँ और लड़के वहाँ आए थे और उन लोगों ने वहाँ खूब गाने गाए और डांस किया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सन् 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था, वह लगभग अस्सी तक वैसे ही चला है। 1980 के पास जाकर वह बदला गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया।


फिर अस्सी के बाद तो यह भी हो गया था कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रेकार्ड हो जाता था। बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज़ों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रेकार्ड होते थे। भले ही वह गाना ड्रैफ्ट हो या फिर कोई सोलो सांग। अकसर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियाँ साथ ही गाती थीं। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद हैं। कुछ एक लड़कियाँ बहुत सुरीला गाती थीं, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थीं। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थीं। कविता और गांधारी बहनें थीं और



दोनों साथ ही कोरस में गाती थीं। रेखा शादी-शुदा बाल-बच्चों वाली औरत थी, जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज़ सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रेकॉर्डिंग के लिए आती थीं, तो अकसर वहाँ स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियाँ नहीं होती थीं। वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थीं और अकसर मैं भी रेकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ, जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग पचास और साठ के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब कौन-कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रेकॉर्ड होता है या अलग से? यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियाँ थीं, उन सबने बहुत बाद तक संगीत बनाया हुआ था।

यतींद्र मिश्र : संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियाँ और कहानियाँ संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यताएँ भी प्रचलित रहीं कि तानसेन के दीपक राग गाने से दीये जल उठे या कि उनकी पुत्रियों ताना-रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं?

लता मंगेशकर : यह जिस जमाने की कथाएँ हैं, जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सु या आत्मा की आवाज़ लगी होगी, तो ऐसा कुछ घर गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं। परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा, यह कम से कम मैं नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालाँकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी।



आपको एक वाक्या बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खाँ और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किम्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन पचास-साठ मिनट कि 'ठन' से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए, तो उनसे मिलने मैं भी वहाँ गई। मैंने बोला, "आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते।" इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले— "बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है, तो टूट जाता है।" उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूबकर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खाँ या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ, तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियाँ तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे।

यतींद्र मिश्र : दीदी, आप तो घर-घर में व्याप्त हैं। आपकी आवाज़ से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा, तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है...

लता मंगेशकर : मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ, तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है, जो दुनिया ने मुझे दिया है... मेरा गाना अमर है, पर शरीर तो अमर नहीं। उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन...। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता। वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है— 'गाव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन'। मतलब गाँव तो बह जाता है, लेकिन जो नाम है, वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम, थोड़ा ही सही मगर, आगे बढ़ाया।

आज मुझे लगता है कि हे प्रभु! तुमने जो भी दिया, वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छाँह दी है, वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना... यही प्रार्थना है।





मेरे उत्तर मेरे तर्क

निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं?

- लता जी ने अपने पिताजी से क्या-क्या सीखा?
 - अनुशासन और नियम के साथ जीना
 - भय और संशय के साथ जीना
 - स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना
 - चतुराई और संयम के साथ जीना
- पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन-मूल्य का द्योतक है?
 - संघर्ष
 - निराशा
 - भौतिकता
 - कर्तव्यनिष्ठा
- “बिल्कुल ठेठ गँवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है...” “मंगलागौर” के वर्णन से भारतीय समाज की कौन-सी परंपरा उजागर होती है?
 - संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव
 - लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी
 - धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व
 - संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका
- “गाव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन” — इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है?
 - नाव गाँव में नहीं रहती, नदी में बहती है।
 - इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है।
 - फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है।
 - जीवन अस्थायी है, पर कर्म अमर रहते हैं।



- कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के पाय लता जी के संबंध कैसे थे?
 - औपचारिक
 - कामकाजी
 - आत्मीय
 - प्रतिस्पर्धात्मक
- लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और नानसेन की कथाओं में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
 - संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं।
 - मेघराग गाने से वर्षा होने लगती है।
 - सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं।
 - संगीत में अपरिमित शक्ति होती है।
- पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है, वह मुख्यतः कैसी है?
 - सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की
 - प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध
 - कठोर सिद्धांतवादी और व्यावहारिक व्यक्ति
 - आधुनिकता विरोधी रूढ़िवादी विचारों वाली

मेरी समझ मेरे विचार

नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए—

- “पिताजी उस समय पूछते थे, ‘समझ गए न?’... इसके बाद वे कहते थे कि ‘अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो!’” यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे?

(संकेत— यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान?)
- लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पं. दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन-कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है?
- “मैंने अपने पिताजी का नाम, थोड़ा ही सही मगर, आगे बढ़ाया।” ‘नाम आगे बढ़ाने’ का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है?
- किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे?



साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व/उभरती छवि

साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन से गुण या विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं? चुनकर लिखिए—

दृढ़ता, कृतज्ञता, दार्शनिकता, समर्पण, उत्तरदायित्व, स्पष्टता, एकाग्रता, साधना, स्पष्टवादिता, विनम्रता, कठोरता, सरलता, आत्मविश्वास, उत्सवप्रियता, श्रद्धा, मानवता, अमरता, घमंड, स्वाभिमान

1. "मुझे अपने गाने और रेकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी।"
2. "अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है, तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।"
3. "आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ, तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार से ही है।"
4. "मेरा गाना अमर है, पर शरीर तो अमर नहीं।"

मेरे प्रश्न

नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए—

"संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है।"

इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे—

1. लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा?
2. लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएँ बताई हैं?
3. लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा?
4. उस्ताद अली अकबर खाँ और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में पता चलता है?

आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अब नीचे दिए गए उत्तरों से अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए (कम से कम दो)।

1. उत्तर : 'मंगलागौर' जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का झलकता था।

2. उत्तर : लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी।

मेरे अनुभव मेरे विचार

अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. "अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है, तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।"
क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अंकलें खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों?
2. "बाबा ने जैसा सिखाया था, उस पर हम सभी भाई-बहनों ने चलने का प्रयास किया।"
आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उनके विषय में बताइए।
3. "पहले दिन गुड़ि बाँधने के बाद नौ दिन तक उत्सव मनाया जाता है।"
आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे। उसका वर्णन कीजिए।
4. "बिल्कुल ठेठ गँवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता-आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है।"
पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएँ बदल रही हैं। कौन-कौन सी परंपराएँ बदल गई हैं? अपने घर-परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं?



विधा से संवाद

साक्षात्कार की पड़ताल

1. 'ऐसी भी बातें होती हैं' एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूँढ़कर लिखिए।



साक्षात्कार के मुख्य बिंदु

- साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया, उसका नाम
- प्रश्नोत्तर
- भावनात्मक वातावरण
- आमंत्रण, स्वागत और परिचय
- उत्तर देने की शैली का संकेत
- विचार और उदाहरण
- संस्मरण
- समापन

2. "मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, उसे आपको बता सकूँ।"
इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है— क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए।

आपका साक्षात्कार

"आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।"

प्रस्तुत पाठ में विश्व-प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन-कौन से अलग प्रश्न पूछेंगे और क्यों?


विषयों से संवाद

1. "एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था।"

सन् 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी माँ, छोटे भाई-बहनों की देखभाल की और अपने घर को सँभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह

- रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किन-किन चुनौतियों का सामना करती होंगी?
(संकेत— भोजन, यात्रा-भाड़ा, सुरक्षा, थकान आदि)
2. "पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रेकार्ड होते थे। भले ही वह गाना डुपेट हो या फिर कोई सोलो संगीत।"
अपने घर, आस-पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषय में बताइए, जिसमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है।

शास्त्रीय संगीत

1. "फिर उसमें लंबी-लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी।"
रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से इनके अर्थ और उदाहरण खोजकर लिखिए—
- राग, सुर, बंदिश, अभंग, सोहर, फाग, बधावा
2. "त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संबन्धित घर-घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है।" आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, बधावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषय में अपने घर में पता कीजिए और एक गीत अपनी लेखन-पुस्तिका में लिखिए।

साइबर सुरक्षा

"आज, जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता, तब तो कमाल ही हो गया होता।"

- आज तकनीकी विकास इतना अधिक हो चुका है कि अनेक धोखेबाज/ठग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी आवाज बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि साइबर सुरक्षा नियमों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी से किस प्रकार बचा जा सकता है?

<https://cybercrime.gov.in/UploadMedia/CyberSafetyHindi.Pdf>



हम ऐसे भी बोलते हैं

“वे बस हमको गंभीरता से देखते थे... मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किसलिए गया।”

1. क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले सिर्फ नजरों या स्मित (हाव-भाव) से ही आपको समझा देता है? उस अनुभव के विषय में बताइए।
2. यदि कोई व्यक्ति बिना बोले (संकेत भाषा में) आपको कुछ समझा रहा है, तो वह आपके लिए और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? (संकेत-धैर्य, जिज्ञासा, समानुभूति आदि)

**रुजन**

1. “अगर हम समय के चक्र (टाइम मशीन) को घुमाकर सन् 1949-50 में ले जाएँ”, कल्पना कीजिए कि आपके पास टाइम मशीन है। 1940-50 के दशक में जाकर लता जी से मिलिए और उनके साथ बिताए गए एक दिन का वर्णन डायरी के रूप में लिखिए। उस समय की विशेषताएँ, भोजन, संगीत आदि का वर्णन अवश्य कीजिए।
2. “आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ, तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है।” कल्पना कीजिए कि यह लता जी का अंतिम संदेश है— आप उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कीजिए।

**भाषा से संवाद****व्याकरण की बात****मुहावरे**

“मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है।”

उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित अंश मुहावरा है। हाथ पसारना या फैलाना का अर्थ है— कुछ माँगना या याचना करना। हाथों से जुड़े अनेक मुहावरे आपने पढ़े और सुने होंगे। ऐसे ही कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए—

- हाथ में आना
- हाथ का मैल होना
- हाथ से हाथ मिलाना
- हाथ साफ करना
- हाथ से निकल जाना
- हाथ धो बैठना

**हमारी भाषाएँ**

1. “गाव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन। मनलव गौंय तो बढ जाता है, लेकिन जो नाम है, वह रह जाता है।” आपने एक कहावत और उसका हिंदी में अर्थ पढ़ा। इस कहावत के अर्थ को अपने घर या क्षेत्र की भाषा अथवा भाषाओं में लिखिए।
2. लता जी ने मराठी कहावत को हिंदी में समझाया। अब आप अपनी मातृभाषा की कोई कहावत चुनिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद के बाद भाव में क्या परिवर्तन आया? लिखिए।
3. एक ‘सेतु चित्र’ बनाइए जिसमें दो किनारे हों— एक किनारे पर हिंदी और दूसरे किनारे पर अपने घर या क्षेत्र की भाषा। दोनों किनारों के बीच में ऐसे शब्द लिखिए जो दोनों भाषाओं में समान अर्थ रखते हैं।

**गतिविधियाँ**

1. “नाम रह जाएगा” वाक्य के लिए एक सुंदर पोस्टर बनाइए। इसके ऊपर ‘नाम रह जाता है...’ लिखिए और नीचे विभिन्न भारतीय भाषाओं में ‘नाम’ शब्द (जैसे— नाव, नात्तो, नांड, नाउँ, मिड, पेर, नामम् आदि) लिखिए। साथ ही कक्षा में सब विद्यार्थी मिलकर एक प्रतिज्ञा लें— ‘हम हर भाषा का सम्मान करेंगे।’
2. कागज पर एक पेड़ का चित्र बनाइए। इसे नाम दीजिए— भाषा-वृक्षा। इसकी जड़ में लिखिए— ‘भारतीय संस्कृति’; तने पर और शाखाओं पर लिखिए— हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला, गुजराती आदि। हर शाखा पर उस भाषा का एक प्यारा शब्द जोड़िए।
3. समूह में मिलकर किसी विषय पर एक छोटा समाचार बुलेटिन तैयार कीजिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण के लिए, एक विषय हो सकता है— ‘कला जो जोड़ती है, बाँटती नहीं।’
4. भाषाई स्मृति पोटली
अपने परिवार में प्रयुक्त अलग-अलग भाषाओं के पाँच शब्द एकत्र कीजिए (जैसे— दादी मराठी बोलती हों, माँ हिंदी)। उन्हें एक ‘शब्द पोटली’ में कार्ड पर सजाइए।
5. स्वर-कोलाज
लता जी के जीवन के प्रेरक वाक्यों और गीतों का चित्रमय कोलाज बनाइए।
6. समय-रेखा
लता जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ कालानुक्रम में दर्शाइए।



“उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी।”

नीचे 'संगीत' शब्द के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है।

संगीत (हिंदी); सङ्गीतम् (संस्कृत); संगीत (पंजाबी); मूसीकी, मौसिकी (उर्दू); मूसीकी, मूसीकी (कश्मीरी); संगीत (सिंधी); संगीत कला (मराठी); संगीतकळा (ला) (गुजराती); संगीत (कन्नड़); संगीत (नेपाली); संगीत (बांग्ला); संगीत (असमिया); ईशै (मणिपुरी); संगीत (ओड़िया); संगीत (तेलुगु); संगीतम्, ईशै (तमिल); संगीतम् (मलयालम); संगीत (कन्नड़)।

- इनके अतिरिक्त यदि आप 'संगीत' शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए।
- उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए।

<https://shabd.education.gov.in/lexicon.jsp>

खोजबीन

लता मंगेशकर से जान-पहचान

1. “जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे।”
लता जी ने बचपन में मेडल पाने की कल्पना की और जीवन में अनगिनत पुरस्कार और मेडल प्राप्त भी किए। पता कीजिए कि उन्होंने जीवन-भर में कौन-कौन से 'मेडल' और पुरस्कार प्राप्त किए?
2. पाठ में लता मंगेशकर ने कई फिल्मों और गीतों का उल्लेख किया है। इंटरनेट की सहायता से इनमें से किसी एक फिल्म और गीत को देखकर उसके विषय में अपने विचार लिखिए। यह फिल्म और गीत कैसा लगा और क्यों?
3. अब आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी की सहायता से लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गीत 'वतन के लोगो' सुन सकते हैं।
https://youtu.be/CF_RqQF991w?si=7CG_zpv8XW5Hprmi

शब्द-संपदा

| | | |
|-------------------------|---|--|
| अप्रतिम | — | बेजोड़, अनुपम |
| आकंठ | — | कंठ तक, पूर्ण रूप से |
| समर्पित | — | समर्पण किया हुआ, दिया हुआ, यौग्य हुआ, |
| स्मरण | — | याद, स्मृति, चिंता |
| रागदारी | — | ठीक राग गाने का ढंग या क्रिया |
| राग | — | विशिष्ट ताल-लययुक्त, ध्वनि, मन को प्रसन्न करना, प्रीति, अनुगम |
| स्वाभिमान | — | आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान |
| बैकुंठ | — | स्वर्ग, एक ताल, संगीत |
| अनुयायी | — | पीछे चलने वाला, अनुगामी, समान |
| माफ़क़त/मारफ़त | — | माध्यम, ज्ञान |
| सबब | — | कारण, अपादान कारण, हेतु |
| अलबत्ता | — | निस्संदेह |
| सूत्रपात | — | कार्य का आरंभ, माप वाले सूत्र से मापन का कार्य |
| आमद | — | आय, आना |
| पार्श्वगायन/पार्श्वगायक | — | किसी अन्य अभिनेता या अभिनेत्री के बदले में नेपथ्य में बैठकर गाने वाला, स्वरदान करने वाला |
| परहेज | — | किसी वस्तु से बचना, बीमार का हानिकर पदार्थ न खाना |
| वाक्या/वाकिया | — | घटना, दुर्घटना, युद्ध |
| खैरियत | — | कुशल, भलाई, नेकी |
| फाग | — | फागुन में गाया जाने वाला गीत, फागुन में होने वाला राग-रंग, होली |
| धमार | — | फाग का एक भेद (संगीत), एक ताल |
| सोहर | — | बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक मंगलगीत |
| बधावा | — | मंगलाचार, बधाई, बच्चे के जन्म आदि के अवसर पर भेजा जाने वाला उपहार |
| मसलन | — | उदाहरण रूप में |
| अप्रत्याशित | — | जिसकी आशा न रही हो, अनसोचा, आकस्मिक |
| अतिरेक | — | आवश्यकता से अधिक, अंतर, आधिक्य |
| वाजिब | — | उचित, कर्तव्य |

